[5]

पत्र संख्या-6/सी० आर० 527/94-का०-174

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस॰ एन॰ विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

पटना-15, दिनांक 18 जनवरी, 1995

महाशय,

भा०प्र० से० के पदाधिकारियों द्वारा स्वयं मूल्यांकन भरकर सीधे प्रतिवेदक प्राधिकार को भेज दिया जाता है। कई बार गलत प्रतिवेदक प्राधिकार को ही मूल्यांकन भरकर समर्पित कर देते हैं और अभ्युक्तियाँ गलत प्रतिवेदक प्राधिकार से लिखकर आ जाती हैं। अतएव यह सूचित किया जाता है कि संबंधित पदाधिकारी स्वयं मूल्यांकन भरकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेंगे तथा कार्मिक विभाग द्वारा ही उनके सही प्रतिवेदक प्राधिकार को उनकी अभ्युक्तियाँ अभिलेखन हेतु भेजी जायगी। संबंधित प्रतिवेदक प्राधिकार भी अपनी अभ्युक्तियाँ अभिलेखित कर इसे समीक्षी प्राधिकार के यहाँ नहीं भेजकर कार्मिक विभाग को भेजेंगे और इसी प्रकार समीक्षी प्राधिकार भी अपनी अभ्युक्तियाँ अभिलेखित कर स्वीकरण प्राधिकार को सीधे नहीं देकर कार्मिक विभाग को भेजेंगे। कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित पदाधिकारी को गोपनीय अभ्युक्तियाँ प्रेषित की जायगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही स्वीकरण प्राधिकार द्वारा गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित हो। कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

[517]

पत्रांक-6/सी० आर०-20344/90 का०-10065

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीमती स्मिता चुघ, सरकार के विशेष सचिव ।

संवा में,

भा० प्र० से० के सभी पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994 ।

विषय :- सेल्फ अप्रेजल के साथ अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक 11059/12/85 दिनांक 10.6.1988 के आलोक में विभागीय पत्रांक 1257 दिनांक 28.2.1992 द्वारा सूचित किया गया है कि सेल्फ अप्रेजल में अतिरिक्त पन्ना जोड़ना भारत सरकार के निर्देश के विरुद्ध है। इधर कतिपय पदाधिकारियों से जो सेल्फ अप्रेजल प्राप्त हुए हैं सेल्फ अप्रेजल में अलग से पन्ना जोड़ा गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि सेल्फ अप्रेजल के साथ अतिरिक्त पन्ना नहीं जोड़ें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-स्मिता चुध

सरकार के विशेष सचिव ।

[518]

[7]

पत्रांक - 6/सी० आर०-103/94-का०-5727

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास,

आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में.

सभी भा० प्र० से० के पदाधिकारी ।

पत्रांक-15, दिनांक 6 जून, 1994 ।

विषय :- बिहार संवर्ग के भा० प्र० से० के पदाधिकारियों की गोपनीय अभ्युक्तियाँ के लिए धारित अवधि के अन्तर्गत अभिलेखन हेतु स्वतः मूल्यांकन (सेल्फ अप्रेजल) एवं प्रतिवेदक तथा समीक्षी प्राधिकारी के द्वारा गोपनीय अभ्युक्तियाँ के लिखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त बिषय के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा अपना सेल्फ अप्रेजल पदाधिकारी की गोपनीय अभ्युक्तियाँ समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ का अभित्सेखन निधौगित समय के अन्दर नहीं किया जाता है । समय पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ प्राप्त नहीं होने पर पदाधिकारियों का प्रोन्नति के मामले भी कई बार लम्बित हो जाते हैं तथा भारत सरकार को समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों नहीं भेजने के कारण पदाधिकारियों की प्रोन्नति/केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में दिक्कत होती है ।

भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई पदाधिकारी अपनी वार्षिक मोपनीय रिपोर्ट के भाग-II में स्वतः मूल्यांकन को भरकर समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रतिवेदक पदाधिकारी को चाहिए कि वे स्वतः मूल्यांकन के बिना ही रिपोर्ट लिखकर समीक्षी पदाधिकारी को प्रस्तुत कर दें ।

अतः यह निदेश दिया जाता है कि सभी भा० प्र० से० के पदाधिकारी अपने सेल्फ अप्रेजल वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर एक पक्ष के अन्दर कार्मिक विभाग/अपने प्रतिवदेक पदाधिकारी को भेज देंगे । प्रतिवेदक प्राधिकार गोपनीय अभ्युक्तियाँ अंकित कर माह जून तक कार्मिक विभाग को भेज देंगे तथा समीक्षी पदाधिकारी 15 जुलाई तक अपना प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को भेज देंगे ।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शन का कृपया दृढ़ता एवं कठोरता से अनुपालन करें ।

विश्वासभाजन, ह०/-एस० एन० विश्वास आयुक्त एवं सचिव ।

[519]

पत्रांक 6/सी० आर०-505/92-का०-70

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस॰ एन॰ विश्वास,

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में.

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी उप विकास आयुक्त/बन्दोबस्त पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 4 जनवरी, 1993 ।

विषय :- भा०प्र०से० के पदाधिकारियों की गोपनीय अभ्युक्तियाँ का अभिलेखन ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ के अभिलेखन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी ने किसी पदाधिकारी के काम को कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए देखा है तो वे उस पदाधिकारी की गोपनीय अभ्युक्तियाँ लिख सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह अवधि एक ही वित्तीय वर्ष की हो।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस० एन० विश्वास सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

[520]

पत्रांक - का॰ 10571

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री ए० यू० शर्मा,

सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव

सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त

ाः सभी-जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/बन्दोबस्त पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 18 अगस्त, 1989

विषय :- भा॰प्र॰से॰ के पदाधिकारियों की चारित्री में राज्य सरकार द्वारा संसूचित प्रसन्नता⁄अप्रसन्नता की प्रविष्टि किये जाने के बारे में संशोधित प्रक्रिया का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहन्म है कि अखिल भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियाँ) नियमावली के नियम-2 की कॉडका 'बी' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के किसी पदाधिकारी की गोपनीय पंजी में सरकार द्वारा संसूचित प्रसन्नता/अप्रसन्नता की प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान है । समय-समय पर तदनुसार, विभिन्न प्रशासी विभागों से भा०प्र०से० के पदाधिकारियों की गोपनीय पंजियों में सरकार द्वारा संसूचित प्रसन्नता/अप्रसन्ता की प्रविष्टि करने के अनुरोध कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में प्राप्त हुए/हो रहे हैं ।

2. कई एक ऐसे दृष्टांत भी सरकार की नजर में आए हैं, जिनमें प्रशासी विभागों के अधीन पदस्थापित भा॰प्र॰से॰ के पदाधिकारियों के कथित उत्कृष्ट कायों के संबंध में सरकारी प्रशंसा/सराहना/अप्रसन्नता संसूचित करने के लिए पत्र निर्गत करने के पूर्व प्रशासी विभागों द्वारा न तो उसके पूर्ण औचित्य पर विचार किया गया और न नियमित प्रक्रिया ही अपनाई गई । वस्तुत: ऐसे मामलों में पत्र निर्गत करने के पूर्व इस बात की जाँच होनी चाहिए कि कथित उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा/सराहना पत्र निर्गत करने का पूर्ण औचित्य बनता है अथवा नहीं । यदि संबंधित

[521]

पदाधिकारियों के उक्त अवधि के कार्यों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों में प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी द्वारा सराहना/प्रशंसा का इन्द्राज कर दिया जाता है, तो उन्हीं कार्यों के लिए अलग से प्रशंसा/सराहना पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होती है ।

3. सरकार के सभी प्रशासी विभागों के स्तर पर भा०प्र०्रसे० के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में यदि प्रसन्नता/अप्रसन्नता संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में भिन्न-भिन्न प्रशासी विभाग भा०प्र०से० के एक ही पदाधिकारी विशेष द्वारा किए जा रहे संबंधित विभागीय कार्यों के बारे में क्रमश: प्रसन्नता/अप्रसन्नता संसूचित करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसा किए जाने से यह संभव है कि एक ही वित्तीय वर्ष में किसी पदाधिकारी की गोपनीय पंजी में परस्पर विरोधी अभ्युक्तियाँ अंकित हो जाय ।

4. अत: सम्यक विचारोपरान्त विषय संबोधित सभी पूर्वानुदेशों को यथा संशोधित/खण्डित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निर्णय लिया गया है कि –

(क) प्रशासी विभाग अपने स्तर से भा०प्र०से० के किसी पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे/गए कार्यों पर प्रसन्नता/अप्रसन्नता संसूचित नहीं करेंगे।

(ख) यदि प्रशासी विभाग की नजर में किसी पदाधिकारी द्वारा कोई कथित उल्लेखनीय/निन्दनीय कार्य किया गया हो तो प्रशासी विभाग विषय से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन प्रभारी मंत्री के आदेशोपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ कार्मिक विभाग को भेजेंगे ।

 (ग) कार्मिक विभाग पैतृक विभाग को हैसियत से प्रशासी विभागों द्वारा भेजी गई अनुशंसाओं को मद्दे नजर रख'यथोचित आवश्यक निर्णय लेंगे ।

5. यह भी स्पष्ट करना है कि रोजमर्रा प्रकृति के कार्य को करने के लिए किसी पदाधिकारी को सरकार की ओर से प्रसन्नता संसूचित किया जाना समीचीन नहीं होगा । मात्र उस परिस्थिति में जब किसी पदाधिकारी ने कोई उल्लेखनीय कार्य, जो उनके सामान्य कार्य परिधि में नहीं आता हो, किया हो तो वैसे ही मामलों में संबंधित पदाधिकारी को राज्य सरकार की प्रसन्नता संसूचित होनी चाहिए । इसी प्रकार यदि किसी पदाधिकारी द्वारा कोई निन्दनीय कार्य किया गया हो तो पदाधिकारी की भूमिका का पूर्ण उल्लेख करते हुए प्रशासी विभाग अपनी अनुशंसा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-ए०यू० शर्मा

सरकार के मुख्य सचिव ।

[522]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

पटना-15, दिनांक 4 दिसम्बर, 1986

संकल्प

विषय :- अखिल भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियां) नियमावली, 1970 के अन्तर्गत भा०प्र०से० के वैसे पदाधिकारियों, जो लोक उद्यम ब्यूरो के अधीन लोक उपक्रमों में पदस्थापित हैं, की वार्षिक गोपनीय अभ्युवितयों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण ।

राज्य के लोक उपक्रमों के बढ़ते हुए कार्यकलापों के कारण अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, जिन्हें इन लोक उपक्रमों की प्रगति की नियमित मॉनीटॉरेंग तथा मार्गदर्शन का दायित्व सरकार द्वारा सौंपा गया है, के कर्त्तव्य एवं दायित्व काफी बढ़ गये हैं i इसके समुचित निर्वहन के लिए लोक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक पदों पर पदस्थापित भा०प्र०से० के पदाधिकारियों पर अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो का सीधा नियंत्रण रहना आवश्यक समझते हुए राज्य सरकार ने भली-भांति विचार करने के बाद लोक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक पदों पर नियुक्त भा०प्र० से० के पदाधिकारियों के कार्यों पर गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु निम्नलिखित प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी के निर्धारण का निर्णय लिया है :--

	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाभिकारी	स्वीकरण पदाधिकारी
 अखिल भारतीय सेवा 3500 के वेतनमान में । 	प्रमारी मंत्री	मुख्यमंत्री	
2. अखिल भारतीय सेवा 3000 के वेतनमान में	अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो (यदि अध्यक्ष 3500 के वेतनमान में हों)	मुख्य सचिव तथा प्रमारी मंत्री	मुख्यमंत्री
•	मुख्य सचिव (यदि अष्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो स्वयं 3000 के वेतनमान में हों)	प्रभारी मंत्री	

[523]

.

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

and the second

विषय :- अखिल भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियां) नियमावली, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्यों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण औषिरिटी का निर्धारण।

अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय पंजियां) नियमावली, 1970 के नियम 3(2) में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार ने नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या-18450 दिनांक 28-10-70 द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अंकन एवं संधारण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की थी । उक्त नियमावली में भारत सरकार द्वारा किये गये कतिपय संशोधनों के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अंकन एवं संधारण के संबंध में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन एवं परिवर्द्धन किया जाय । अतएव सभी पहलुओं पर भलीमांति विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 3, 4, एवं 5 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्यों के कार्यों पर वर्ष 1977-78 से कार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां अभिलेखित की जाय ।

2. आवश्कतानुसार मा॰प्र॰से॰ के पदाधिकारियों द्वारा धारित किये जाने वाले पद हर हमेशा सृजित और समाप्त किये जाते हैं, जिनके संबंध में प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण औधिरिटी का, तदनुसार, हर हमेशा निर्धारण करने की कठिनाई से बचने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि समान वर्त्तमान या नये पदों के संबंध में भी प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी वही माने जायेंगे।

3. संलग्न परिशिष्ट ॥ में जहां प्रतिवेदक औथिरिटी को संख्या एक से अधिक होगी वहां ऐसे प्रत्येक प्रतिवदेक ऑथिरिटी अपनी-अपनी अभ्युक्तियां अलग-अलग दर्ज कर प्रथम समीक्षी औथिरिटी के पास भेज देंगे । जहां समीक्षी औथिरिटी की संख्या एक से अधिक रहे, वहां अभ्युक्तियां पहले प्रथम पदनाम वाले समीक्षी औथिरिटी के पास मेजी जायगी । प्रथम समीक्षी औथिरिटी अपनी समीक्षात्मक अभ्युक्तियां अंकित कर पूरी अभ्युक्तियां अपने बाद के क्रम पर ओकित समीक्षी औथिरिटी को मेजेंगे एवं अन्तिम समीक्षी औथिरिटी पूरी अभ्युक्तियां स्वीकरण औथिरिटी को भेज देंगे । इस तरह, अभ्युक्तियां पूर्ण होने पर कार्मिक विभाग में भेज दी जायगी ।

4. अखिल भारतीय सेवायें (गोपनीय पॅजियां) नियमावली, 1970 के नियम 6 एवं 6ए के प्रावधानों के अनुसार ही समीक्षी/स्वीकरण औथिरिटी को प्रतिवेदक औथिरिटी द्वारा अभिलेखित अम्युक्तियों की समीक्षा/स्वीकृति करनी है।

[526]

अतएव बिना प्रतिवेदक औथिरिटी की अभ्युक्तियां प्राप्त किये समीक्षी औथिरिटी अपनी समीक्षात्मक अभ्युक्तियां अँकित नहीं करेंगे । इसी प्रकार, बिना प्रतिवेदक और समीक्षी औथिरिटी से अभ्युक्तियां प्राप्त किये, स्वीकरण औथिरिटी अपनी अभ्युक्तियां अँकित नहीं करेंगे । विशेष परिस्थिति में भी अथवा सेवा निवृत्त होते समय या औफिस डेमिट करते समय समीक्षी/स्वीकरण औथिरिटी अपने अधीनस्थ सम्बन्धित प्रतिवेदक व समीक्षी औथिरिटी से अभ्युक्तियां प्राप्त कर ही अपनी समीक्षात्मक व स्वीकरणात्मक अभ्युक्तियां अँकित करेंगे ।

5. वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां के विहित समय के अन्दर अभिलेखन की आवश्यकता पर बल देते हुए समय-समय पर परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं, फिर भी यह देखा गया है कि प्रतिवेदक औथिरिटी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां विहित समय के अन्दर अभिलेखित नहीं करते हैं । फलस्वरूप, अद्यतन अभ्युक्तियों के अभाव में पदाधिकारियों की प्रोन्नति, दक्षतारोक पार करने तथा अन्य विविध मामलों के निष्पादन में कठिनाइयां महसूस की जाती हैं । अत: गोपनीय अभ्युक्तियों का विहित समय में अभिलेखन का बहुत महत्व है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रतिवेदक औथिरिटी अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां 15 अप्रील तक लिखकर समीक्षी औथिरिटी को अवश्य भेज देंगे, समीक्षी औथिरिटी उक्त अभ्युक्तियों पर अपनी समीक्षात्मक अभ्युक्तियां अंकित कर 30 अप्रील तक स्वीकरण औथिरिटी के पास जरूर भेज देंगे, और स्वीकरण औथिरिटी अपनी भी अभ्युक्तियां 15 मई तक अंकित कर, कार्मिक विभाग को भेज देंगे ।

6. यह विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व होगा कि वे विभाग में तथा विभाग के नियंत्रणाधीन निगम, पर्षद या निकाय में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां, विहित समय के अन्दर अंकित कराकर, कार्मिक विभाग को भेजें ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को परिशिष्ट सहित बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह०/- पि॰एस॰ अप्पू

सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या 5/सी॰आर॰-101/76 का॰-21494 पटना-15, दिनांक 30 नवम्बर, 1977 प्रतिलिपि :- 1. श्री यू॰सी॰अग्रवाल, स्थापना पदाधिकारी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, नार्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली ।

2. विभाग के सभी प्रधान सचिव ।

3. विभाग के सभी सचिव ।

4. सभी प्रमंडलायुक्त ।

5. सभी विभागाध्यक्ष ।

सभी जिला पदाधिकारी ।

น สญาณาว่าว่า

a 1

7. सभी बन्दोबस्त प्रदाधिकारी ।

8. राज्यपाल के सचिव ।

9. मुख्यमंत्री के सचिव ।

10. लोकायुक्त के सचिव ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. उनसे आग्रह है कि इससे सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को अवगत करा दें।

ह०/- पि॰एस॰ अप्पू

सरकार के मुख्य सचिव, बिहार ।

क्रा प्रतिसीत पदाधिकारी का परताम प्रतिसीत पदाधिकारी का परताम प्रतिसीत पदाधिकारी का परताम का परता			મારાજ− ॥				
का पदनाम का पदनाम का पदनाम 2 3 4 5 मुख्य सॉक्ष ब्रुड्यमंत्री प्रुड्यमंत्री 3500 रु. वाले पर परस्थापित पर्तापिकारी प्रुड्य सॉनव प्रुड्यमंत्री 3500 रु. वाले पर परस्थापित पर्तापिकारी प्रुड्य सॉनव प्रुड्यमंत्री 3600 रु. वाले पर परस्थापित पर्तापिकारी प्रुड्य सॉनव प्रुड्य सॉनव 3000 रु. वाले पर परस्थापित हो पर परस्थापित प्रि मिमा, परं< प्रुड्य सॉनव प्रुड्य सॉनव द्याप टाईम स्केल के पर्तापिकारी वो सॉनिवालय में सारस्य, रावस्व परं प्रुड्य सॉनव पर परस्थापित हो वा किसी ऐसे निमान, परं< या निकास प्रुड्य सॉनव प्रुड्य सॉनव पर परस्थापित हो वा किसी ऐसे निमान, परं< या निकास प्रुड्य सॉनव प्रुड्य सॉनव प्रे विभाग के प्रधान हो भा के प्रां परंत सं भा परस्थापित हो निकास वाधान सं मानवन्ध हो, वेसे :- विग, रावस्व एव प्रि विभाग के प्रधान सं हो, वेसे :- विन, रावस्व एव मुड्य सॉनव मुड्य सॉनव प्रां दां के प्रां तेकार भी कान परं प्रां ताकार सं प्रां तेका भी मुड्य सॉनव प्रां ताका सं सानवन हो, वेसे :- विन, रावस्व एव विकास आपुर मुड्य सॉनव प्रां ती कारा सं का वाधान सं सानवन हो, वेसे :- स्वार प्र मुड्य सॉनव मुड्य सॉनव प्रां ता किसल आपुर ताकारव में मुड्य सॉनव मुड्य सॉनव प्रां ती कारा सं का वाधा मं तिकास आपुर मुड्य सॉनव प	H H		प्रतिवेदक औथिरिटी	समोक्षी औथिरिटी	स्वीकरण औधिरिटी	अभ्युक्ति	
2 3 4 2 मुख्य सीम्त मुख्य सीम्त मुख्य सीम 3500 रु वाले पर परस्थापित पदापिकारी मारी मंत्री मुख्य मंत्री 3500 रु वाले पर परस्थापित पदापिकारी मुख्य सीम मुख्यमंत्री 3500 रु वाले पर परस्थापित पदापिकारी मुख्य सीम मुख्य मंत्री 3000 रु वाले पर परस्थापित पदापिकारी मुख्य सीम मुख्य मंत्री 3000 रु वाले पर परस्थापित को सन्तिकारा मं मुख्य सीम मुख्य मंत्री उपरस्थापित हो वा किसी ऐसे निगम, परं या निकार मुख्य सीम मुख्य मंत्री प्रि विभाग के प्रधान साथन को देखाई एवं विद्युत मुख्य सीम मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पदाधिकारी जो सीचवालय में किसी मुख्य सीम मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पदाधिकारी जो, सीचवालय में किसी मुख्य सीम मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पदाधिकारी जो, सीचवालय में किसी निकास आपन मं मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पदाधिकारी जो, सीचवालय में किसी निकास आपन मं मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पदाधिकारी जो, सीचवालय में किसी मुख्य आपन मं मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पदाधिकारी जो, सीचवालय में किसी मुख्य आपन मं मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पदाधिकारी जो, सीचवालय में किसी मुख्य आपन मं मुख्य सीम प्रा दाईम सकेल के पर पर परस्थापित हो मिक्का आनुक मं मुख्य सीम प्रा ताई ना किस से सावन्य मं मिक्का आपन मं <th>संख</th> <th><u>अ</u></th> <th>का पदनाम</th> <th>का पदनाम</th> <th>को पदनाम</th> <th></th> <th></th>	संख	<u>अ</u>	का पदनाम	का पदनाम	को पदनाम		
मुख्य समिक अख्य समिक 3500 रू बाले पर पपरस्थापित पदाधिकारी प्रभारी मंत्री 3000 रू बाले पर प परस्थापित पदाधिकारी मुख्य सचिव प्रभारी मंत्री अत्याद आयुक्त के पदाधिकारी जो सविवालय में सुधर टाईम स्क्रेल के पदाधिकारी जो सविवालय में सिसी ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकश्रीय पर पूरा राईम स्क्रेल के पदाधिकारी जो सविवालय में किसी ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकश्रीय पर पर परस्थापित हो था किसी ऐसे निभाग, पर्षद या निकाय मं अक्ष्यश्र या भुजन्थ निर्ह्रात और न्वति, राजस्व पर्व भूमि सुधार, उत्यार, खनन पर्व भूति , त्विचालय में किसी विभाक साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- विन, राजस्व पर्व भूमि सुधार, उत्यार, खनन पर्व भूति निभाग हां विभाक साधन से सम्बन्ध हो, सेसे :- विन, राजस्व पर्व भूमे सुधार, उत्यार, खनन पर्व भूति निभाग हो धाण्यवरु, जन परिवत्ता जो, सचिवालय में किसी विभाग के प्रधान हो खन्ध संस विभाग के प्रधान सी केसी तिकाय में किसी विभाग के प्रधान से सम्बन्ध हो के :- व्यास्थ्यापित हो, विभाक हो वा किसी ऐसे निभाग पर्वद या निकाय में किसी क्रियक्ष वा भ्रान्न सी तिता पर्वद या निकाय में किसी विनका विकास से सम्बन्ध हो, जेसे :- स्वास्थ्य पर्व परिवार निर्याग्वेक, रावोग पर्व भ्रावेक सिक्त निकाय गेवना पर्व परिवार निर्यागकन, उद्योग एव भ्रावेक्त शिक्ती शिक्ता थ के		2	3	4	5	9	
3500 रू बाले पर परस्थापित पदाधिकारी प्रथा मंत्री मुख्य मंत्रि पुख्य मंत्रि मुख्य सचिव प्रथ परस्थापित पदाधिकारी मुख्य सचिव प्रथा र महत्व परं मुख्य सचिव प्राध संस्था भारत को पदाधिकारी जो सांचनालय में साथन आयुक्त प्रथा सिका के प्रथान सचिव या समकक्षीय पर मुख्य सचिव पर परस्थापित हों वा किसी ऐसे निगम, परंद या निकाय में साथन आयुक्त हो पर परस्थापित हों वा किसी ऐसे निगम, परंद या निकाय में साथन आयुक्त मंत्र या किसी ऐसे निगम, परंद या निकाय में साथन आयुक्त प्रथा मित्र में साथन आयुक्त में साथन साधन संसावन्ध हो, वेसे :- नित्त , रावस्य एवं मित्रत ने परस्थापित हों विभाग के प्रधान साचन हो, देसे :- नित्त , रावस्य एवं मित्रत सिकाय में साथन आयुक्त न परस्थापित हों विभाग के प्रधान सावन्ध हो, वेसे :- नित्त , रावस्य एवं भिर्म निभाग हों ते किसी भी निभाग हों के साथन से सावन्थ हो, वेसे :- नित्त , रावस्य एवं भूग्व सावन से सावन्ध हो, वेसे :- नित्त , रावस्य एवं भूग्व सीवत से सावन्थ हो, वेसे :- नित्त , रावस्य एवं भूग्व सीवत से सावन्ध हो के से न्य निकाय हो जिफान परंद या निकास आयुक्त में स्वत्य हो के प्रधान से तिभाग हो जिफान परंद या निकार हो विकास आयुक्त में स्वत्य हो के प्रधान से सावन्थ हो, वेसे :- नित्त , रावस्य एवं किसी हो निकास आयुक्त हो परं यहां विभाग के प्रधान सावन्त हो , सी निकास में सावन्त हो , वेसे :- नित्त , सिकाय में किसी विकास आयुक्त में प्रधान भावन से सावन्य हो , वेसे :- स्वार में किसी विकास आयुक्त में स्वत्य हो , वेसे :- स्वार्य मं किसी विकास से सावन्य हो , वेसे :- स्वार्य मं किसी विकास से सावन्य हो , वेसे :- स्वार्य मं विकास में वेका से सावन्य हो , वेसे :- स्वार्य मं विकास में सावन्य हो , वेसे :- स्वार्य मं विकाम में सावन्य हो , वेसे :- स्वार्य मं वेजन परं परस्थापित हो जिका से सावन्य हो , वेसे :- सात्र प्र या निकार में जिनान परं जा निकार में वोकान ने सावन्य हो , वेत्र :- सात्र्य परं जा निका में वेजान से सावन्य हो , वेत्र :- स्वार्य्य प्र वाना ने संवत्य हो भी ने: स्वार मं वेजन परं परं वा निका ने वोजन र संवार्य में से से आये वेत्र ने संवत्य हो के लिता सांवा ने वावन से सावन्य हो , वेत्र :- सात्र्य परं वार्य ने संवत्य ने संवत्य हो के लिता में वात्र ने संवत्य में व्य से वार से वार संवत्य संवत्य ने वां का ने रावेल्य ले लो ने सात्र मे	<u></u>	I	- <mark>कु</mark> ख्यमंत्री				
3000 रु वाले पर प परस्थापित पताधिकारी मुख्य सचिव प्रमान प्रमंहलीय आयुक्त मुख्य सांभ कलल के पताधिकारी जो सचिवालप में साथन आयुक्त मुख्य राईम स्केल के पताधिकारी जो सचिवालप में साथन आयुक्त किसी ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकश्चीय पद प परस्थापित हो या किसी ऐसे निगम, पर्षद या निकाय के झष्ट्रव्य था मुख्य सचिव पर परस्थापित हो या किसी ऐसे निगम, पर्षद या निकाय में झष्ट्रव्य था मुख्य मित्रेराक ऑदि के पद पर परस्थापित हों जिनका साधन से सम्बन्ध हो, बेंसे :- विता, राजस्व एवं भूमि सुधार, उत्पाद, खनन एव भूतित, सिंचाई एवं विद्युत वाणिज्यकर, वन, परिवहन । सुप राईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी निकास आयुक्त प्रंसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर परस्थापित हो या किसी ऐसे निगम पर्षद था निकाय में अध्यक्ष वा प्रबन्ध हो, जेसे :- स्वास्थ्य पं जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जेसे :- स्वास्थ्य पं जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जेसे :- स्वास्थ्य पं	5	3500 रू॰ वाले पद पर पदस्थापित पदाधिकारी	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री			
प्रमंडलीय आयुक्त मुख्र संक्रि के पदाधिकारी जो संचितालय में साथन आयुक्त किसी ऐसे विभाग के प्रधान सांचिव जा समकक्षीय पर प्र पदस्थापित हो या किसी ऐसे निगान, पर्षद या निकाय में अध्यक्ष या प्रजन्थ निकाय जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राबस्व एवं जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राबस्व एवं भूमि सुधार, डत्पार, खनन एवं भूतित, तिक्ति हो जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राबस्व एवं भूमि सुधार, डत्पार, खनन एवं भूतित, तिक्ति हो भूमि सुधार, डत्पार, खनन एवं भूतित, सिंचाई एवं विद्युत, बाणिध्यकर, वन, परिवहन । सुपर दाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचितलय में किसी विकास आयुक्त एसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर परस्थापित हो या किसी ऐसे निगम पर्वह या निकाय में जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पं जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पंव परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावेधिका शिक्षा, योजना एवं	ų	3000 रु॰ वाले पद पर पदस्थापित पदाधिकारी	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री		
सुपर टाईम स्कॅल के पदाधिकारी जो सचिवालय में साथन आयुक्त प्राथन सिंग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पर युख्य सचिव किसी ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पर पुरस्थापित हों या किसी ऐसे निगम, पर्षर या निकाय पर पदस्थापित हों या किसी ऐसे निगम, पर्षर या निकाय में अध्यक्ष या प्रजन्थ निरंशक आदि के पर पदस्थापित हों जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राजस्व एवं धूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत धूमि सुधार, उत्पाद, खनन पद्व भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत वाणिज्यकर, वन, परिवहन । सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त एसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर परस्थापित हों या किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में धंनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पंव परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्राविको शिक्षा, योजना एवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावीधको शिक्षा, योजना एवं	4	प्रमंड लीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्षद	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री		
किसी ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद मुख्य सचिव पर पदस्थापित हो या किसी ऐसे निगम, पर्षद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबच्ध निद्रसक आदि के पद परस्थापित हो जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राजस्व एवं जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राजस्व एवं भूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, भूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, सूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, सूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, सूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, बाणिध्यकर, वन, परिवहन । सुप टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर परियात हो या किसी ऐसे निगाम पर्षंद या निकाय में जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावेधिका शिक्षा, योजना एवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावेधिका शिक्षा, योजना एवं	ŝ	सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो सचिवालय में	साधन आयुक्त	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री		
पर पदस्थापित हो या किसी ऐसे निगम, पर्षद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबन्ध निहेशक आदि के पद पर पदस्थापित हों जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जेंसे :- वित्त, राज्रस्व एवं जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जेंसे :- वित्त, राज्रस्व एवं धूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, धूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, बाणिज्यकर, वन, परिवहन । सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त एस विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर एसथापित हों वा किसी ऐसे निगम पर्षद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबन्ध हो, जेंसे :- स्वास्थ्य प्रवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं		किसी ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद	मुख्य सचिव	-			
में अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक ऑदि के पह पर पदस्थांगित हाँ जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राजस्व एवं भूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतल, सिंचाई एवं विद्युत, धूमि सुधार, उत्पाद, खनन पवं भूतल, सिंचाई एवं विद्युत, बाणिज्यकर, वन, परिवहन । सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त मुख्य सर्चिव ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर परस्थापित हाँ या किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबन्ध हो, जैसे ?- स्वास्थ्य पवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिको शिक्षा, योजना एवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिको शिक्षा, योजना एवं		पर पदस्थापित हों या किसी ऐसे निगम, पर्षर या निकाय					
जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राबस्व एवं भूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, बाणिज्यकर, वन, परिवहन । सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त मुख्य सर्चिव ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर पदस्थापित हाँ या किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में अंध्यक्ष या प्रबन्ध निरंशक आदि के पद पर पदस्थापित हों, जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिको शिक्षा, योजना एवं		में अध्यक्ष या प्रुबन्ध निदेशक आदि के पह पर पदस्थांिपत	हों				
भूमि सुधार, उत्पाद, खनन एवं भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत, बाणिज्यकर, वन, परिवहन । सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त मुख्य सचिव ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर एसथापित हों वा किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक आदि के पद पर पदस्थापित हों, जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिको शिक्षा, योजना एवं		जिनका साधन से सम्बन्ध हो, जैसे :- वित, राजस्व एवं					
बाणिज्यकर, वन, परिवहन । सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त मुख्य सम्वि ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर परस्थापित हों या किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक आदि के पद पर पदस्थापित हों, जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं		भूमि सुधार, उत्पाद, खनन एव भूतत्व, सिंचाई एवं विद्युत,	[.]				
सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी विकास आयुक्त मुख्य सचिव ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर पदस्थापित हों या किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक आदि के पद पर पदस्थापित हों, जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य पवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं		वाणिज्यकर, वन, परिवहन ।					
स तवं सुं	ġ	सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो, सचिवालय में किसी	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री		
पदस्थापित हाँ या किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक आदि के पद पर पदस्थापित हों, चिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं		ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर		प्रभारी मंत्री			
अंध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक आदि के पद पर पदस्थापित हों, खिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं		पदस्थापित हों या किसी ऐसे निगम पर्षंद या निकाय में					
जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं		अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक आदि के पद पर पदस्थापित हो					
परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं		जिनका विकास से सम्बन्ध हो, जैसे :- स्वास्थ्य एवं					
		परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधिकी शिक्षा, योजना एवं					

परिशिष्ट-II

•

-

[529]

.

-	2	£	4	5	6
1	विकास, शिक्षा, कल्याण, श्रम एवं नियोजन, नागरिक विकास, भ्रामीण विकास एवं पंचायत, लोक कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रेण, कृषि, सहकारिता एवं पशुपलिने ।				
	अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्	सदस्य, राजस्व पर्धद	मुख्य सचिव	मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार	
య	सुपर टाईम स्केल के पदाधिकारी जो सांचवालय में किसी ऐसे विभाग के प्रधान सचिव या समकक्षीय पद पर पदस्थापित हों जिनका साधन या विकास से सम्बन्ध नहीं हो, जैसे :- अध्यक्ष, लोक शिकायत ब्यूरो, विभागीय जांच आयुक्त, अध्यक्ष, लोक शिकायत ब्यूरो, विभागीय जांच आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, स्थानिक आयुक्त, नयी दिल्ली, असैनिक प्रतिरक्षा आयुक्त, साहाय्य एवं पुनर्वास आयुक्त, खाद्य आयुक्त, निरंशक, प्रशासकीय संस्थान, रांची, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।	मुख्य सचिव त	प्रभारी मंत्र <u>ो</u>	मुख्यमंत्री	
б	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-संह-विशेष सदिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।	मुख्य सचिव मुख्य निर्वाचन आयुक्त ।	मंत्री (निर्वाचन) मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	
ð	सन्विव, विश्वीभ विभाग	मुख्य सचिव	मंत्री (विधि)	मुख्यमंत्री	
÷	सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, कार्मिक एवं गृह विभाग तथा मौंत्रेमडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।	प्रधान सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
12.	ऐसे विभागों में पदस्थापित सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव जिनका संबंध साधन (resources) से हो,	प्रधान सम्वित	साधन आयुक्त मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	

	ऐसे विभागों में पदस्थापित सचिव/ विशेष सचिव/अपर सचिव प्रधान सचिव विकास आयुक्त प्रभारी मंत्री जिनका संबंध विकास से हो, जैसे :-स्वास्थ्य पर्व परिवार नियोजन, उद्योग एवं प्रावैधको शिक्षा, योजना एवं विकास, शिक्षा, कत्त्याण, श्रम एवं नियोजन, नागरिक विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, लोक कार्य, लोक कार्य स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, कूषि, सहकारिता एवं पशुपालन।	14. सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं प्रधान सचिव मुख्य सचिव प्रभारी मंत्री वाणिज्य विमाग।	र्षद	16. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ सहायक सचिव सचिव/विशेष सचिव/ प्रथान सचिव प्रभारी मंत्री अपर सचिव (जो पदाधिकारी का काम देखते हों)	प्रधान सचिव मुख्य सचिम प्रभारी मंत्री उत्पाद आयुक्त के संबंध में सदस्य, राज्स्व पर्षंद प्रथम समीक्षी पदाधिकारी होंगे ।	विभागाध्यक्ष प्रधान सचिव प्रभारी मंत्री ।
जैसे :- वित, राष् रर्व भूतत्व, सिंचाः	ऐसे विभागों में पत जिनका संबंध कि नियोजन, उद्योग ए शिक्षा, कल्याज, विकास एवं पंचाट अभियंत्रण, कूषि,	सनिव/विशेष सन्ि बाणिज्य विभाग।	सचिव, राजस्व पर्षद	संयुक्त सचित/उप	17. विभागाध्यक्ष	अपगेरमंथक्त/तय विभागाध्यक्ष

	2	3	4	5	6
19.	. समाहत्ती	प्रमंडलीय आयुक्त	सदस्य, राजस्व पर्ष द ।	मुख्य सचिव ।	
80	20. अपर समाहत्ती/अनुमंडलाधिकारी	समाहत्तां	प्रमण्डलीय आयुक्त ।	मुख्य सचिव ।	·
21.	21. बन्दोंबस्त पदाधिकारी	तिदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप	प्रमण्डलीय आयुक्त ।	सदस्य या सम्बन्धित अपर	
-		•		सदस्य, राजस्व पर्षद ।	
532]	22. प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोंबस्त पदाधिकारी	बन्दोबस्त पदाधिकारी	निदेशक, भू– अभिलेख एवं परिमाप	प्रमंडलीय आयुक्त ।	
23.	23. सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्	उपाध्यक्ष 	प्रधान सचित, योजना	मुख्य सचिव	
24.	24. सचिव, बिहार राज्य विद्युत पर्षद	अध्यक्ष	प्रधान सचिव	मुख्य सचिव	
	. कनीच, व्ररीय तथा प्रवर कोटि के वेतनमान के ऐसे पर्षद, निगम, निकाय, आदि के मुख्य कार्यपालक एदाधिकारी के रूप में पदस्थापित पदाधिकारी जिसे पर्षद, निकाय आदि के ब्यूरो औफ पब्लिक इन्टरप्राईज से गहन संम्बन्ध हो, जैसे :- बिंहार राज्य औद्योगिक से गहन संम्बन्ध हो, जैसे :- बिंहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम, बिहार	प्रधान सचिव	साधन आयुक्त विकास आयुक्त	प्रभारी मंत्री	•

ì

ł

[532]

राज्य चंग्र उन्द्योग निगम, बिहार राज्य चौनी नियांत निमम, बिहार राज्य इस्तकर्मा निमम, बिहार राज्य चौनी नियान, कित निमम, महोत विषणन पर्षद, विषुत पर्षद, पुल निमाम, कहो विषणन पर्षद, विषुत पर्षद, पुल निमाम, कहो विषणन पर्षद, विषुत पर्षद, भाषा, निकास आद तका निमाम न से प्रे पर्षद, साम, निकास आद को के मुख्य कार्यपालक पर्याधिकारी के हाम, निकास आद कार्य परिक इंट्टप्राइंठेज चे निकास आदिकार, राँची श्रोधोगिक क्षेत्र विकास आविकार, निकास, राँची श्रोधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, निकास, राँची श्रोधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बीकारी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकार, राँची श्रेवीय विकास प्राधिकार, बोकार, राँची श्रेवीय विकास प्राधिकार, कोधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, कुक्षी उद्योग विकास प्राधिकार, पट्या क्षेत्रार निमम, विकार राज्य भाषा, राज्य वन निकास निमम, कृति तमम, विकार राज्य भाषा, राज्य वितान निमम, विकार राज्य प्रावाई क्षेत्र निमम ।	ा निमाम, र राज्य गाम, नाम, नाम, प्राई, प्रधान सांचव प्रकार किकास कि प्राधिकास, ती राज होक प्रकार होक प्रकार होक प्रकार होक प्रकार होक प्रकार होक प्रकार होक प्रकार होका स्वान होका स्वान हो स्वान होका स्वान होका स्वान हो स्वान हा स	2	ý	4	5		9	
(राज्य गम, नेगम, निगम । सर्व, प्रधान सचिव विकास आयुक्त भाषेकार, जिकास निकास निकास निकास ती राज राज्य राज्य राज्य राज्य	(राज्य गाम, नाम, निगम । पर्स, प्रधान सचिव रकती निगम, जिकास जिकास जिकास निकास निगम, ति राज राज्य राज राज्य न प्र प्य राज्य राज्य न राज्य रा प्य प्य प्य प्य प्य त							
गम, निगम, निगम। मित्तम। पर्षद, प्रधान सचिव क्रिकोरी जिक प्रक्षेत्र जिक प्रक्षेत जिकास - पुस्तक प्रकाशन होवकास - पुस्तक प्रकाशन होवकास तो राज राज्य राज्य	गम, निगम । निगम । पर्षद, प्रधान सचिव स्कारी नेगम, जिक प्रक्षेत्र गिक प्रक्षेत्र गिक प्रक्षेत गिक प्रक्षेत जिकास निकास निमम गित सिकास निकास आयुक्त निमम निमम निमम निमम निमम निमम निमम निम							
नाम, मित् नित्तम । पर्षद, प्रधान सचिव विकास आयुक्त नित्तम, नाम, जिकास प्रि विकास निराम ती राज राज्य राज्य राज्य	नाम, गर, निगम । पर्षद, प्रधान सचिव विकास आयुक्त ग्रिक प्रकार ति से कास राज्य राज्य	खाद्य एवं विनियोग निगम, खिहार राजेंध चीनी निगम,		_				
ार्षत्, निमाम । पर्षद्, प्रधान सचिव बकारी नेगम, जिकास तिकास -पुस्तक प्रकाशन वैकास निमाम, ती राज राज्य	र्षिद, निर्माप । पर्षद, प्रधान सचिव जिकारी नेगम, जिकारा पुर विकारत विकारत विकारत विकारत विकारत विकारत विकारत विकारत विकार किंत्र विकार किंत् किंत्र किंत्र किंत्र किंत्र किंत्र किंत्र किंत्न किंत्न किंत्न किंत्न किंत्न किंत्न किंत्न किंत्त किंत्न किंत्न किंत् किं किंत्न किंत्न किंत्न के किं किंत् किंत् किंत् किंत्त किंत्त	वित स्मिम, माईका सिन्डीकेट, खनिज विकास निगर्म,	;					
निर्गम । प्रबंद, प्रधान सचिव विकास आयुक्त क्रमा, नेगम, जिकास गिक प्रक्षेत्र -पुस्तक प्रकाशन वकास निगम, ती राज राज्य संचाई निगम ।	निर्माम । पर्षद, प्रधान सचिव विकास आयुक्त निर्माम, ता व से तिकास गुप्र पुप्र विकास निर्मास ती राज राज्य राज्य राज्य	पुल निर्माण निगम, कृषि विपणन पर्षर, विद्युत पर्षर,						
फॉर, प्रधान सचिव विकास आयुक्त क्लारी नगम, नगम, जि से प्रकाशन पुर्स किलास निकास ती राज रोज्य रोज्य रोज्य	पर्षद, प्रधान सचिव विकास आयुक्त क्रमों नेगम, नेगम, जि भ्रोक पुर्प्त क्रांक्षेत्र पुर्प्त प्रकाशन विकास निगम, ती राज संचाई निगम । संचाई निगम ।	पथ परिवहन निगम, जल विकास निगम, निर्माण निगम ।		, ţŝ				
તિમામ, નિક્તાય આદિ જે મુલ્ટા સાર્ગયાलक પર્ચાધકારી જે હત્ય મેં પરસ્થાપિત પદ્યકારી, વિસંતે પર્વર, નિગમ, નિક્તાય આદિ कા ચ્યૂપે ऑफ પહિलक इन्टरप्राईजेब से गहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसेउसरी विहार औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार, रौंची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोबतोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बादितां औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, अदिनित्त हो बेत्रीय विकास प्राधिकार, पादय-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी घवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास मिमाम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, काबास बोर्ड, बिहार राज्य पछाड़ी क्षेत्र, लिप्पट सिंगचा ।	તિમામ, નિક્તાય આદે કે મુક્ય કાર્યયાलક પર્વાધકાપી કે હત્ય મેં પરસ્થાપિત પદ્ભકારી, વિસં પર્ષક, નિંગામ, વિક્તાય આદે का અપૂંથ ઓખ પદ્ભિત્ક इ-ડાપ્રાइંબેચ સે માદન સમ્મહમ્ય પૂર્વ औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिकास प्राधिकार, सैत्री औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, धराधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पादन-पुस्तक प्रकाशन सिमाम, आसी भवन निमाम, राज्य वन विकास निमाम, क्रुषि उद्योग विकास निमाम, राज्य वन विकास निमाम, क्रुषि उद्योग विकास निमाम, पंच्य वन विकास निमाम, क्रित त्रांच भण्डार निमाम, विहार राज्य वित्त निमाम, बिहार राज्य पछाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निमाम । आवास बोर्ड, बिहार राज्य पछाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निमाम ।		प्रधान सचिव					
के रूप में पदस्थापित पद्धांधकारी, जिसे पर्षद, निगम, तिकाय आदि का व्यूपे ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईंजेब से ताहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसं–उत्तरी बिहार औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पाट्य-पुरत्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निर्माभ, राज्य वन विकास निगम, आरक्षी भवन निर्माभ, राज्य वन विकास निर्मम, कृषि उद्योग विकास निगम, गव्य ति स्वा वित निगम, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिप्ट सिंचाई निगम । आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिप्ट सिंचाई निगम ।	જે હત મેં પરસ્થાપિત પથાંધજારી, જિસે પર્ષર, निगम, નिकाय આदि का च्यूऐ ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइंजेज से गहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसे-उत्तरी बिहार औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार, सैंची औधोंगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोहोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, याद्य-पुस्तक प्रकाशन प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राद्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निमाम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम , बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, सिपट सिंचाई निगम ।	निगम, निकाय आदि के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी				Ţ		
मिकाय आदि का ब्यूऐ औरू पब्लिक इन्टरप्राईंजेब से गहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसं–उसरी बिहार औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार, रौंची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पाट्य-पुस्तक प्रकाशन निंगस, आरक्षी भवन निर्माण निंगम, राज्य वन विकास निंगम, कृषि उद्योग विकास राज्य स्तारा, पंचायती राज वित निंगम, बिहार राज्य प्रछाई क्षेत्र, लिपट सिंचाई निंगम । आवास बोर्ड, बिहार राज्य प्रछाई क्षेत्र, लिपट सिंचाई निंगम ।	વિकाय આदि का ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईजेज से गहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसे-उत्तरी बिहार औधीगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बांकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्पपुर ओद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पादय-पुस्तक प्रकाशन प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पादय-पुस्तक प्रकाशन तिनाम, आरक्षी मचन निमाण निगाम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, वित निगम, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम । आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	के रूप में पदस्थापित पदाधिकारी, जिसे पर्षद, निगम,		*			-	
गहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसेउत्तरी बिहार औधोगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची ओद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बांकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रादिल्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पादय-पुस्तक प्रकाशन प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राप्य का विकास निगम, आरक्षी भवन निमाम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गच्य ती राज वित निगम, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम । आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	गहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसे-उसरी बिहार औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकतार, राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्पपुर पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्पपुर अंत्वोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पादय-पुस्तक प्रकाशन प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राप्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गळ्य निगम, बिहार ग्राज्य वित निगम, बिहार राज्य भण्डरी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम । आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	निकाय आदि का ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राईजेन से					۰.	
विकास प्राधिकार, राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटन क्षेत्रीय विंकास प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पाट्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी घवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, कित निगम, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम । आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	विकास प्राधिकार, राँची ओद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पाट्य-पुस्तक प्रकाशन तिगम, आरक्षी भवन निर्माण निगाम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, राज्य वन विकास निगम, वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	गहन सम्बन्ध नहीं हो, जैसे⊸उसरी बिहार औद्योगिक प्रक्षेत्र						
		विकास प्राधिकार, राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,	;** .				· . •	
पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पट्य-पुस्तक प्रकाशन प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राप्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निमाण, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गळ्या निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राप्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गज्य निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,	-					
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, षटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पाद्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कूषि उद्योग विकास निगम, गस्थ निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार ग्रुज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, षटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राप्तिक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गच्था निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार ग्रुज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिप्ट सिंचाई निगम ।	पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर			i -			
प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पाट्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कूषि उद्योग विकास निगम, गष्थ निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पाट्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गव्था निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिप्प्ट सिंचाई निगम ।		·					
निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, रोज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गस्थ निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम, कृषि उद्योग विकास निगम, गष्थ्य निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	प्राधिकार, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पाट्य-पुस्तक प्रक	<u> इन</u>	••			•	
कृषि उद्योग विकास निगम, गव्था निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	कृषि उद्योग विकास निगम, गच्था निगम, पंचायती राज वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार ग्रज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र, लिपट सिंचाई निगम ।	निगम, आरक्षी भवन निर्माण निगम, राज्य वन विकास निगम		· .				
गुज्य संचाई	मुख्य संचाई	कृषि उद्योग विकास निगम, गव्य निगम, पंचायती राज						
सेचाई	संचाई .	वित निगम, बिहार राज्य भण्डार निगम, बिहार राज्य						
		सेचाई .						

*

(ग) विदेश प्रशिक्षण

[1]

पत्र संख्या - 13/टी-2052/92 (खंड)-1417

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार निभाग।

सेवा में,

श्री एस॰ एन॰ विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 8 मार्च, 1995

विषय :- भा०प्र०से० एवं बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या 9832 दिनांक 28.8.93 द्वारा मा.प्र.से. /बि.प्र.से. के पदाधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण/सेमिनार आदि में भाग लेने के संबंध में मार्ग दर्शन निर्गत किया गया है, किन्तु कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिसमें संबंधित विभाग भारत सरकार से विदेश प्रशिक्षण में मनोनयन संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात अपने विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों का मनोनयन प्रस्ताव कार्मिक एवं प्र.सु. विभाग को अनुशंसा तथा अनुमोदन हेतु भेज देते हैं।

अत: यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी विभाग को भा.प्र.से./बि.प्र.से. के पदाधिकारियों का विदेश/सेमिनार आदि में मनोनयन हेतु भारत सरकार के पत्र ज्राप्त होते हैं तो उसे वह विभाग कार्मिक एवं प्र.सु.विभाग को स्थानान्तरित कर देगा । कार्मिक एवं प्र.सु. विभाय अपने स्तर से मनोनयन प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई प्रारंभ करेगा ।

अनुरोध है कि इसका अनुपालन तत्परतापूर्वक किया जाय ।

विश्वासमाजन,

ह०/-एस. एन. विश्वास

आयुक्त एवं सचिव

[534]

पत्र संख्या-9832

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

पटना, दिनांक 28.9.93

विषय :- भा० प्र० से० एवं बि० प्र० से० के पदाधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि भा. प्र. से. के पदाधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने से संबंधित कुछ मामलों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मार्गदर्शन के बावजूद कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त किये बगैर ही संबंधित विभाग द्वारा ही त्रिसदस्यीय समिति/मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर पदाधिकारी को विदेश प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु विरमित कर दिया जाता है । या तो कार्मिक विभाग को इसकी् सूचना नहीं मिलती है या पदाधिकारी के विदेश प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद कभी-कभी कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग को पता चलता है कि पदाधिकारी विदेश प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्ति पर है । इस प्रक्रिया से प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है ।

अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि भा. प्र. से. तथा बि.प्र. से. के पदाधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति के किसी भी मामले में कार्मिक विभाग को छोड़कर दूसरे किसी विभाग द्वारा त्रिसदस्यीय समिति/मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा जायगा । इन सारी औपचारिकताओं का अनुपालन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ही किया जायेगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई उपस्थित नहीं हो ।

अनुरोध है कि इसका अनुपालन तत्परतापूर्वक किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-एस०एन० विश्वास आयुक्त एवं सचिव

[535]

पत्र संख्या-सी०एस० 1/ए2-201/83-1568

बिहार सरकार

17

मंत्रिमंडल सचिवालय ।

प्रेषक,

श्री सुभाष मुखर्जी,

सरकार के मुख्य सचिव ।

1

÷.,

सेवा में.

सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 17 मई, 1983 ।

विषय :- भारत के बाहर सेमिनार⁄विचार गोष्ठी, वर्क शॉप, उच्चतर अध्ययन या प्रशिक्षण, विशिष्ट सम्मेलन आदि में भाग लेने अथवा सरकारी कार्य पर विदेश यात्रा के लिए राज्य सरकार के प्रदाधिकाहियों की प्रतिनियुक्ति ।

ः महाशय,

उपर्युक्त विषय पर भली-भाँति विचार कर पूर्व में निर्गत, सभी परिपत्रों को अवक्रमित करते हुए सरकार ने निष्नलिखित नीतिमूलक निर्णय लिया है ।

- विदेश में होने वाले सभी प्रकार के सेमिनार, सम्मेलन, वर्क शॉप, प्रशिक्षण, बैठक आदि में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु संबोधित विभाग द्वारा पदाधिकारी के स्पौंशरिंग एवं प्राथमिक चयन विभागीय मंत्री की अनुमति से किया जायगा ।
 - तदुपरान्त विभाग द्वारा उसे विदेश यात्रा समिति के समक्ष आदेशार्थ रखा जायगा, उक्त समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी जिनके अन्य सदस्य (1) विकास आयुक्त (2) वित्त आयुक्त (3) संबंधित विभाग के आयुक्त एवं सचिव होंगे।

मुख्य सचिव को अनुपस्थिति में या अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत पदाधिकारी उक्त समिति की बैठक में भाग लेंगे ।

[536]

- समिति की अनुशंसा के बाद मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा एवं तदुपरान्त विधिवत सरकारी आदेश निर्गत होगा एवं राज्य सरकार को उसकी सूचना दी जायगी ।
- 4. परन्तु नितान्त आवश्यक होने पर अथवा समयाभाव होने पर मुख्य सचिव प्रतिनियुक्ति संबंधित आदेश सीधे मुख्यमंत्री से प्राप्त करेंगे ।
- 5. जहां तक भारत के अन्दर करन्तु राज्य के बाहर सेमिनार प्रशिक्षण आदि में भाग लेने का प्रश्न है उसके लिए उपयुक्त पदाधिकारी का चयन विभाग के आयुक्त एवं सचिव अपने विभागीय मंत्री के अनुमोदन से करेंगे।
- 6. परन्तु उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के साथ विचार विमर्श हेतु अथवा बैठक में भाग लेने हेतु अथवा न्यायालय में जाने हेतु या रूटीन कार्य की यात्राओं पर लागू नहीं होगा लेकिन इन मामलों में भी पदाधिकारियों का चयन विभागीय आयुक्त एवं सचिव स्वयं करेंगे और उसकी संख्या न्यूक्तम निर्धारित की जायगी ।

1.1.14

[537]

12.12

विश्वासभाजन,

इ०/-सुभाष कुमार मुखर्जी,

सरकार के मुख्य सचिव, बिहार ।

1.00

7 .

The second second states and second second and the second second n and in an in the second start of the second भगतिति हो सिंग के सिंग के सिंह से सिंह apter pick i traj (देखें मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग का परिपत्र संख्या दिनीक स्पौनशरिंग विभाग इस पत्र को दोः प्रतिषों मैंदेंगे । प्रोप्तत्र के भाग 4 में सरकारी आदेश महिपत्र की कॉडका 3 के अनुसार '**अंकित कर एक प्रति सम्बन्धित विभोग को लौदा**ध्दी खायगीको) का उन्हरितिक कि जिन्हरू 115 . . . विदेश भेजने के लिए प्रस्ताव करनेवाले विभाग का नाम : 1. अने भिर्म हैंद समेदे भाषी सुद्ध के दिया । 2. ट्र**प्रस्तुबित पदाधिकारी का नाम :** कि से ए. फिन से, ए. में में नाम कि ज्यानी के पूर्व के दिया के प्राप्त क्रम, क्रम क्रम, क्रम क्रम, क्रम के (334) वि**मदायिकादीक्षका पद् नाम्न**ः २०३१७ ३० कि छिन्छ । १०१२ विग्रेंग भूति के विद्यार आ 4. 🚛 किस कार्य के लिए विदेश यात्रा करना है : - I The FRANCESS - AND ้า โร เพระชา 5. (i) (क) जिस सेमिनार या सम्मेलन आदि में प्रतिनियुक्ति प्रस्तावित है; उससे विभाग के कार्यक्षेत्र का क्या सम्बन्ध e ser spin the constant (ख) उक्त प्रतिनियुक्ति से विभाग को क्या लाभ होगा । 🦷 (ii) प्रस्तावित पदाधिकारी की शैक्षणिक योग्यता क्या है 5. एवं (क) उस अनुपात में वे कौन-सा कार्य कर रहे हैं। (ख) विदेश दौरा से विभागीय कार्य में उनको क्या लाभ होगा 👔 (स्तम्भ 5 का ठोस उत्तर दें) विदेश/विदेशों का नाम जहाँ यात्रा प्रस्तावित है : 6. यात्रा की अवधि : 7. यात्रा के लिए यात्रा आदि का सम्भावित व्यय : 8. क्या प्रस्तावित पदाधिकारी इसके पूर्व विदेश यात्रा पर गये 9. हैं, यदि हाँ तो पिछले पांच वर्ष का पूर्ण ब्योरा दें : 10. अभ्युक्तिः आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

[-538.]

्रतः कि इण्डद्य**े ३ भाषा∺2**ा

विदेश यात्रा समिति की अनुशंसा एवं बैठक की तिथि :

भाग−3

मंत्रि परिषद का आदेश (निर्णय संख्या एवं दिनांक)

भाग-4

DOLY BUILDER REPORT

परिपत्र की कॉडिका 3 के अनुसार सम्यादेश

To boot to the electric of the original of the officer us us in the officer us us in the structure of the electric to the test of the electric to the test of the electric to the electric to

नोट :- भाग 4 में सरकारी आदेश अंकित किया जायगा एवं उसकी एक प्रति मॅत्रिमंडल सचिवालय में रख ली जायगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित विभाग को भेज दी जायगी ।

(a) Solutions (1990) (1990

াৰ জন্ম বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন সময় বিভ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰিক বিভিন্ন বিভিন্ বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভান বিভান বিভান বিভান বিভান বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বি আজি বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন বিভান বি

(a) Subject with some of the strappenergy of the second strappenergy of the second se second sec

[539]

(घ) भारत सरकार के महत्वपूर्ण पत्र

[1]

11033/3/98-AIS (II)

Government of India

Ministry of Personnel, P.G. & Pensions

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, 24th Jan., 2000

- 18

То

All the Chief Secretaries of all the State Governments.

Subject : Holding of more than one post by a cadre officer under Rule 11 of IAS (Cadre) Rules, 1954.

Sir,

I am directed to state that it has been noticed that requests for ex-post facto approval from the State Governments are being received for holding of additional charges by IAS cadre officers beyond six months- time and again. Rule 11 of IAS (Cadre) Rules, 1954 states that -

(i) The State Government concerned in respect of the post borne on the State Cadre or the joint Cadre as the case may be, may, for the purpose of facilitating leave arrangements for a period not exceeding six months, direct that any two cadre posts or a cadre post and an equivalent post may be held simultaneously by one single cadre officer.

(ii) Where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do, it may, with the prior approval of the Central government, order that the posts directed by it to be held simultaneously by one single cadre officer under sub-rule (i), may continue to be so held for a period beyond six months but, in any case, not beyond twelve months from the date with effect from which the post were first directed to be so held under sub-rule (i).

This rule clearly stipulates that prior approval of Government of India be obtained for continuation of holding of such additional charge beyond six months and in any case not beyond 12 months. Also this arrangement should be resorted to facilitate leave arrangements.

2. The State Governments are requested to adhere to the provisions of Rule 11.

Yours faithfully, Sd/-Desk Officer

[540]

No. 14028/8/99-Estt (L)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, Deted 6th January, 2000

602.

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Procedure for advance credit of Earned Leave over and above the maximum limit of 300 days on its accumulation ---Clarification regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 14028/7/97-Estt (L), dated 7.10.97 enhancing the ceiling on accumulation and encashment of Earned leave in respect of Central Govt. Civilian employees from 240 days to 300 days and to clarify that in view of the revised ceiling, the procedure laid down in the proviso to Rule 26(1) (b) of CCS (Leave) Rules, 1972, according to which the advance credit of 15 days Earned leave on first day of January or July of every calendar year is to be kept separately in the leave account of a Govt. servant and first adjusted against the Earned Leave that he may take during that half-year, may be resorted to in cases where the earned leave at the credit of the Govt. servant on the last day of December or June is 300 days (instead of 240 days) or less but more than 285 days (instead of 225 days).

2. These instructions take effect from 1st July, 1997.

3. Formal amendment to the relevant provisions of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 will be notified separately.

4. Hindi version is enclosed.

Sd/- B. Gangar

Under Secretary to the Govt. of India

То

All Ministries/Departments of the Government of India.

[54,1]

No. 14028/8/99-Estt (L)

Dated the 6th January, 2000

Copies forwarded to:-

- 1. The Comptroller & Auditor General of India and all States under his control (400 copies)
- 2. Controller General of Accounts/Controller of Accounts, Ministry of Finance.
- 3. Registrar General, Supreme Court of India.
- 4. Secretaries of Union Public Service Commission/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Vice President's Secretariat /Prime Minister's Office/Planning Commission.
- 5. Department-of (Personnel & Training (AIS Division/JCA/Admna-Section//Pay • Implementation Cell) DE Cautoronic De D. D. D. D. C. C. Constanting

6. Additional Secretary (Union Territories), Ministry of Home Affairs.

7. All State Governments and Union Territories.

- 8. Secretary, National Council (Staff Side), 13-C, Feroze Shafi Road, New Delhi.
- 9. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM/Departmental Council.
- 10. All Officers/Sections of the Department of Personnel & Training /Department of Administrative Reforms & Public Grievances/Department of Pension & Pensioner's Welfare/PESB.
- 11. Department of Expenditure (Implementation Cell), Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi-1.

12. 2000 Spare sets.

÷.

2

Sd/-(B. Gangar)

Under Secretary to the Govt. of India

·拉尔 法国际

 $S^{(1)}(\mathbb{R}^{n})$

[- 542]

संख्या 14028/8/99-स्थापना (छुट्टी)

भारत सरकार

Government of India

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, Rublic Guievances And Pensions कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग Department of Personnel & Training

दिनांक जनवरी 06, 2000

- Mot **कार्यालस-जम्म्य**ः २२०

President in interaction

विषय :- अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश से अधिक अर्जित अवकाश का संचयन हो जाने पर उसे अग्रिम रूख्न से अवकाश-खाते में जमा करने की प्रक्रिया के बारे में स्वयीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में 240 दिन के अर्जित अवकाश के संचय और नकदीकरण की अधिकर्तम सीमा बढ़ा कर 300 दिन कर दिए जाने के बार में इस विभाग के दिनाक 07-10-97 के कार्यालय-ज्ञापन सं०-14028/7/97-स्था॰ (छुट्टी) का हवाला देने और यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संशोधित सीमा के मद्देनजर, उन मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 26 (1) (ख) के परन्तुक में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए जहाँ दिसम्बर अथवा जून के अर्तिम दिन किसी सरकारी कर्मचारी (ख) के परन्तुक में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए जहाँ दिसम्बर अथवा जून के अंतिम दिन किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश-खाते में (240 दिन के स्थान पर) 300 दिन का अथवा उससे कम परन्तु (225 दिन के स्थान पर) 285 से अधका दिन का अर्जित अवकाश जमा हो । उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरों माह अथवा जुलाई माह के पहले दिन किसी सरकोरी कर्मचारी के अवकाश-खाते में 15 दिन का अधित अवकाश अग्रिम रूप से जमा करके अलग से रखा जाना अपेक्षित होता है और वह उस संबंधित अर्ध-वर्ष में उस कर्मचारी द्वारा लिए जा सकने वाले अर्थिक अवकाश को सहे सहले समायोगित कि अवकाश-खाते में 15 दिन का अचित अवकाश अग्रिम रूप से जमा करके अलग से रखा जाना अपेक्षित होता है और वह उस संबंधित अर्ध-वर्ष में उस कर्मचारी द्वारा लिए जा सकने वाले अर्थिक अवकाश को सहे सहले समायोनित किया जान अपेक्षित होता है।

2. ये अनुदेश जुलाई, 1997 के पहले दिन से प्रमावी हैं।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के संगत प्रावधानों में औपचारिक संशोधन, अलग से Process of the rerview all Process of the Process and American Process and अधिसूचित किया जायगा । ्र**म्प्रम्**य क्रम्प्रे सिंहत क्रम्प्रिक कर ही द्वार के स्वर्ण के सिंहत है। 213 8ml (6, 005 s त्र के प्रति के प्रयोग के साथ के दिन्द्र के प्रति के दिन्द्र के प्रति के स**भारत आवार को सावर सविव</mark>्धत** 11日 四日 日日 CONTRACT OF STOLES servers and an approximation of the server and the सेवा में. भारत सरकार के सभी मॅत्रलिय/विभाग ತ್ರ ಎ.ಎ.ಎ. ^{ಮಿ} ಬ**ಂಧ ಕ ದಾಗ್ರವಣ್** ಗ್ರಿತೆ ಎಂದು ೩೦ ಈ - G1 - 1745 ysoin Hinn Hal & Anter La same to be and bedre may address a martin the many and recently the many states and the conditioned endowing a balance of a device a submet to a bence in each a particular property of the each

[543]

No. 5/2/94-EO (MM.H)

[3]/

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

OFFICE OF THE ESTABLISHMENT OFFICER.

New Delhi, dated, December 24, 1999

P. P.

÷÷.

16.9.5

OFFICE MEMORANDUM

ere t

Subject : Premature repatriation from Central Deputation reg.

· · · .

According to para 17.03 of the Central Staffing Scheme, every officer shall revert at the end of his tenure, on the exact date of completing his tenure. He will, however, have a choice to revert to his cadre on the 31st May, previous to the date of the end of his tenure in case personal grounds such as children's education etc., necessitate such reversion. According to para 17.11 ibid orders for premature reversion to the respective cadres of officers serving under the Central Staffing Scheme may be issued :

. :

- (a) By the Establishment Officer in cases where the officers want to avail of the benefit of promotion in their cadres;
- (b) By the Establishemnt Officer, with the approval of the Cabinet Secretary, in cases of compassionate/personal grounds where the officer has a balance tenure of six months or less left.

2. However, if an officer wants to prematurely repatriate to his cadre on personal grounds or his services are required by the State Government and his case is not covered by any of the provisions of the Central Staffing Scheme, mentioned above, the case is submitted to the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) for a decision. If the ACC approves of the proposal for premature repatriation, according to the extant policy, it is stipulated that the concerned officer's name will be entertained for retention in the offer list for a future deputation to a post filled under the Central Staffing Scheme, only after the officer has completed the prescribed period of cooling off' in his cadre, after the expiry of the unfinished tenure of his deputation on the post held by him at the time of his premature repatriation. So, the 'cooling off' period will be reckoned not from the date of his actual

[544]

repatriation but from the date he would have finished his normal deputation term. If, however, the officer is recalled by the State Government for appointment as Secretary to CM/ Governor, he would not be subjected to the extended 'cooling off' period.

3. All the Ministries/Departments are requested to bring this policy to the notice of the officers working in those Ministries/Departments, so that they remain apprised of the consequences of premature repatriation on their own request on personal grounds not covered by the provisions contained in para 17.03 and para 17.11 of the Central Staffing Scheme.

(Bhaskar Khulbe)

Director

То

All the Ministries/Departments of the Govt. of India ... Copy to:

(i) Chief Secretaries of all the State Governments.

(ii) Ministry of Home Affairs for IPS and AGMU Cadre officers.

(iii) Ministry of Environment and Forests for IFS officers.

(iv) Cadre Controlling Authorities of Central Group 'A' Services.

(Bhasker Khulbe)

Director

101.1

[/545]

No. 134/5/99-AVD-I

[4]

Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Traininng)

New Delhi, dated the 30th Nov. 1999

The Chief Secretary,

153.00

Government of all States/UTs.

Subject : Procedure for obtaining advice of UPSC in disciplinary cases involving Court/CAT directions.

The UPSC has brought to the notice of the Government that in a number of cases referred to the Commission seeking their advice in disciplinary cases against Government servants, the time available to the Commission was very short in view of the fixed limitation period for compliance stipulated by the Tribunal Courts, thus making the Commission also liable to contempt of the Court.

2. To avoid such situations, in such cases, the State Governments shall ensure that while forwarding a dsciplinary case to UPSC involving court orders at least two months time is given to the Commission for tendering advice. The State Governments shall move the Court requesting for sufficient extension of time, if necessary, simultaneously while making a reference to Union Public Service Commission in such cases. Further, such requests for extension of time should be pursued vigorously with the concerned Tribunal Court and the outcome thereon should also be communicated to the Commission without any loss of time.

3. All the State Governments are requested to comply with these instructions.

Yours faithfully, (C. O. Rajan) Under Secretary to the Govt. of India Tele : 3794799

[546]

To,

No. 134/5/99-AVD-I Copy forwarded to :

1. MHA (UTs Section), New Delhi for finformation and necessary action (with 10 spare copies)

2. Secretary, UPSC for information w. r. t. his d.o. letter No. F6/2/99-SI dated 14.10.99.

(C.O. Rajan)

• . .

. :

-

Under Secretary to the Govt. of India

Tele : 3794799

নিধ নিজ জন্ম কৰি আৰু এই বিশ্বন্ধ আৰু বিভাগ বিশ্বনিধাৰি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়। বিভাগ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাৰ্জ্যক্ষ

> en en en le service de la s Financia de la service de la

1.1.1

[547]

सं० 134/5/99-ए.वी.डी-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : नवम्बर 30, 1999

÷.

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ-राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय :- न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निदेशों से जुड़े अनुशासनिक मामालों में संघ-लोक-सेवा आयोग की सलाह लिए जाने की प्रक्रिया ।

संध-लोक-सेवा-आयोग द्वारा सरकार के ध्यान में यह बात लायी गई है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में आयोग की सलाह लेने के लिए उसे भेजे गए कुछ मामलों में अधिकरणों/न्यायालयों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु नियत की गई सीमित अवधि के मद्देनजर, आयोग को बहुत कम समय मिला जिसके कारण आयोग को भी न्यायालय की अवमानना का भागी बनने की सम्भावित स्थिति की उलझन का सामना करना पड़ा ।

2. ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय के आदेशों से जुड़े अनुशासनिक मामले संघ-लोक-सेवा-आयोग को भेजते समय उसे (आयोग को) सलाह देने हेतु कम से कम दो महीने का समय मिले । ऐसे मामलों में यदि आवश्यक हो तो संघ-लोक-सेवा-आयोग को सन्दर्भ भेजते समय ही, राज्य सरकारें न्यायालय से पर्याप्त समय बढ़ाने का अनुरोध करें । इसके अलावा, समय बढ़ाने के ऐसे अनुरोध के बारे में सम्बन्धित अधिकरण/न्यायालय से लगातार, प्रभावी ढंग से सम्पर्क बनाए रखा जाना चाहिए तथा उसके परिणाम से आयोग को तुरन्त अवगत करवाया जाना चाहिए ।

3. सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों का अनुपालन करें ।

भवदीय,

(सी. ओ. राजन)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष : 3794799

[548]

दिनांक : नवम्बर 30, 1999

संख्या-135/5/99-ए. वी. डी.-1

प्रतिलिपि प्रेषित :-

11

 $Q(n^{2})$

- 1. गृह मंत्रालय (संघ राज्य क्षेत्र अनुभाग) नई दिल्ली को सूचना/आवश्यक कार्रवाई के लिए 1 (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 2. सचिव, संघ लोक-सेवा-आयोग को उनके दिनाँक 14.10.99 के अ. शा. पत्र संख्या एफ.-6/2/99-एस. I के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-सी. ओ. राजन भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष : 3794799

- 5

1.

States and States States and States

in the second

IMMEDIATE

Government of India 1989 And 1989 And 1989

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel and Training Street 198

North Block, New Delhi Com Blocks P. Las

No. F. 14015/16/99-AIS (I) To,

Dated the 22nd November, 1999

-,

Chief Secetaries of all the State Governments etc.

Subject :- IAS/IPS/IFS-Promotion Regulations-consideration of State Civil Service officers under Regulation 5 (2) regarding.

Sir,

I am directed to refer to Government of India Circular Letter No. 14015/1/98-AIS (I) dated 6.7.1998 and to say that in para 4 (a) of the Circular, the State Governments were requested to furnish unconditional willingness for appointment to the IAS alongwith the declaration of marital status and consent for termination of lien on eventual confirmation in IAS, duly signed by the members of the State Civil Service falling within the consideration zone even while forwarding necessary proposals for convening the Selection Committee to prepare the Select List for promotion to the IAS to the UPSC.

2. A question has been raised as to whether those Sate Civil Service officers in the consideration zone who do not furnish their unconditional willingness for promotion to the IAS may not be considered by the Selection Committee and the consideration zone framed under Regulation 5 (2) can be modified to that extent.

3. In this connection it is observed that consideration for promotion to IAS is a legal right for every member of the State Civil Service, to be regulated strictly in accordance with and subject to the statutory provisions contained in the Promotion Regulations. The zone of consideration is framed by the State Governments under Regulation 5(2) of the Promotion Regulations which do not envisage the choice of option on the members of the State Civil Service, who are eligible otherwise, in the matter of being considered for promotion to IAS nor do they permit modification of the consideration zone to that extent. The requirement for obtaining the declarations etc., from the State Civil Service officers

[550]

from the year 1998 is with the sole object of considering the appointment of the selected officers to the IAS against the existing vacancies, after approval to the select list by the Commission, expeditiously, in conformity with the provisions of Regulation 9 (1) of the Promotion Regulations, as amended on 31.12.1997. In other words, the requirement in no way takes away the right of the concerned SCS officers to be considered for promotion.

4. In view of the above, every State Civil Service officer falling within the consideration zone shall be considered and graded by the Selection Committee and the list of officers suitable for promotion prepared in accordance with Regulation 5 (4) and 5(5) of the Promotion Flegulations. The choice of option exercised by the SCS officers to refuse promotion to IAS shall be reckoned with by the Central Government only in case of their inclusion in the select list prepared by the Selection Committee after its approval by the Commission, in terms of the third proviso to Regulation 9(1) of the regulations and the case of such officers for promotion to IAS thereafter is required to be regulated strictly in terms of Regulation 5(3A) of the amended Regulations.

5. These instructions are applicable mutatis mutandis to the case of State Police Service/State Forest Service Officers in the matter of their promotion to the Indian Police Service and Indian Forest Service respectively, in terms of the relevant regulations. State Governments are requested to scrupulously comply with the above instructions while sending proposals to the Union Public Service Commission for convening the Selection Committee meetings in terms of the relevant Promotion Regulations from time to time.

Yours faithfully,

R. Vaidyanathan

Under Secretary to the Govt. of India.

te dat fin

(a) And the second sec second sec

المراجع فتطورون والعمواني

- 1

(a) An and the state of the first state of the state o

化合物 建立分离 化合理合金 化合理合金

÷ 11

a tvcf i tir tir

. .

No. 134/5/99-AVD-I

Γ67

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

(Department of Personnel & Training)

£ 1 New Delhi, dated the 10th November, 1999.

14.

The Chief Secretary, Government of All States/UTS

To, and a set of

Subject :- Revised proforms for forwarding disciplinary cases to the Union Public Service Commission. . .

I am directed to say that the existing proforma for forwarding disciplinary cases to the U.P.S.C. for advice was circulated to the Governments of all States vide this Departments O.M.No. 142/13/84-AVD-I dated 28.5.85, as modified vide OM of even number dated 5.11.1985. The UPSC has now brought to the notice of the Government that keeping in view various requirements and needs felt by the Commission while processing of the cases received from various Ministries/Departments/State Governments, the existing proforma has been modified by the Commission. A copy of the revised proforma is enclosed:

2. It is requested that in future, references seeking advice of the UPSC in disciplinary cases may be referred to the Commission in the revised proforma.

Yours faithfully,

(C. O. Rajan) Under Secretary to the Govt. of India Tele: 3794799

Copy with 10 spare copies of the proforma forwarded for information/necessary action to the MHA (UTs Section), New Delhi.

Copy with 20 spare copies, forwarded for information to Secretary, UPSC (Shri R.L. Sidhu, Deputy Secretary) w. r. t. their letter No. F.6/15/99-SI dated 16.9.99.

(C.O. Rajan)

Under Secretary to the Govt. of India. Tele : 3794799

[562]

संo 134/5/99-ए.वी.डी.+Les 💷 🖓 🖓

3

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा धेशन-मंत्रालय 🚲 💷 🖓 👘 🦷 引

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 10, 1999

· · · · · · · · · · · ·

सेवा में,

मुख्य सचिव, सरकार ।

विषय : संघ-लोक-सेवा-आयोग को अनुशासनिक मामले भेजे जाने हेतु निर्धारित संशोधित प्रपत्र-प्रोफॉर्मा ।

मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि संघ-लोक-सेवा आयोग के सलाह हेतु अनुशासनिक मामले भेजे जाने हेतु नियमित मौजूदा प्रपत्र इस विभाग के दिनांक 28-05-85 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 142/13/84-ए.वी.डी.-1 द्वारा सभी राज्य-सरकारों को परिचारित किया गया था और बाद में दिनांक 05-11-1985 के समसंख्यक कार्यालय-ज्ञापन द्वारा उसे संशोधित कर दिया गया था। संघ-लोक-सेवा-आयोग ने सरकार को अब यह बतलाया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य-सरकारों से प्राप्त हुए मामलों की जांच-पड़ताल करके उनमें यथोचित कार्रवाई करते समय उसके (आयोग के) द्वारा महसूस की गई विभिन्न अपेक्षाएं और आवश्यकताएं ध्यान में रखते हुए उसने मौजूदा प्रपत्र संशोधित कर दिया है । संशोधित प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है ।

2. यह अनुरोध है कि कृपया भविष्य में, अनुशासनिक मामलों में संघ-लोक-सेवा-आयोग की सलाह मांगने से संबंधित संदर्भ, उसे (उपर्युक्त आयोग को) संशोधित प्रपत्र में ही भेजें ।

भवदीय,

(सी. ओ. राजन) भारत सरकार के अवर सचिव दूरभाष : 3794799

प्रतिलिपि :

प्रपन्न की 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित, गृह मंत्रालय (संध-राज्य क्षेत्र अनुभाग), नई दिल्ली को सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रपत्र को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित, सचिव, संघ-लोक-सेवा-आयोग (श्री आर. एल. सिद्धू, उप सचिव) को उनके दिनांक 16.09.99 के पत्र संख्या एफ. 6/15/99-एस. आई. I के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(सी. ओ. राजन)

्रभारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष : 3794799

[553]

Proforma/Check List for forwarding disciplinary case to the Union Public Service Commission

PART I. SERVICE AND RELATED PARTICULARS

1.		Name of charged officer and the service
		on which borne
2.	(i)	Whether temporary/permanent/contract service
	(ii)	If confirmed, date of confirmation
	(iii)	Post if any in which quasi-permanent
*3.		Post held substantively, if in permanent service
	(a)	Designation
	(b)	Scale of pay (indicating stages, EB etc.)
	(c)	Pay drawn
	(d)	Date from which pay shown against (c) drawn
	(e)	Date of increment
4.	Pos	t held at present
	(a)	Designation
	(b)	Scale of pay (indicating stage, EB etc.)
-	(c)	Pay drawn
	(d)	Date from which pay shown against (c) drawn
	(e)	Date of next increment
•	Not	to be filled in the case of All India Service officers.

[554]

-
	The next lower post (alongwith pay scale)/grade, the officer would have held but for his appointment to the					
	present post he is holding	e en				
. 6.	Date of Birth					
7.	Date of joining Govt. Service					
3.	Due date of retirement or actual date of retirement, if already retired					
9.	(a) Amount of monthly pension admissible/ sanctioned					
	(b) (i) Amount of gratuity admissible	listen andresse statistical de la sectore de la sectore sectores				
	(ii) Amount of gratuity sanctioned	Service (in				
	(This information is required only in respect of cases of recovery from or withholding of pensionary benefits)					
10.	(a) Appointing authority in respect of the post held at present, or the authority which actually appointed the person, if that authority is higher.	ມີ ທີ່ມີເຊິ່ງ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີສີດ ທີ່ມີ				
	(b) Authority competent to impose the penalty in respect of the post held at present.					
	(c) Appellate authority in respect of the post held at present.					
11.	Whether an oral inquiry, if required under the rules, has been held	······································				
12	Name and designation of the Inquiry Officer, appointed, if any.					

[565]

PART II. DETAILS OF CASE RECORDS

(All the records are required to be arranged and cross-referenced, as indexed below and page numbers of the file/folders to be indicated against each item).

ltem

*Reference/comments

(A) ORIGINAL CASES

(Where the Central Government or the State Government is the Disciplinary Authority and an order of penalty is to be passed for the first time)

- (a) Complaint, if any, received by the authorities
- (b) (i) Report of the preliminary enquiry, if any, held in the matter leading to the institution of formal disciplinary proceedings against the Charged Officer (together with depositions recorded)
 - (ii) Order, of suspension/revocation of suspension, if any.
- (c) Order, if any of the competent authority for joint/common proceedings where two or more Govt. servants are involved.
- (d) (i) Charge-sheet together with the statement of imputations alongwith enclosures.
 - (ii) Records of delivery of chargesheet to the charged officer
 - (iii) Whether the Charge-sheet issued as per the Rules

* Indicate reference in terms of page numbers, file numbers, folders etc. Do not leave any column blank, if a document is not enclosed, indicate reasons.



(e) F	Reply	of the Charged Officer	
(f)	expla point Offic	e from the Disciplinary Authority tining the factual or procedural s, if any, raised in the Charged er's reply in minor penalty cases e no enquiry has been held	5.
(g)		er of the disciplinary authority inting the Inquiry Officer.	۶ 1۴
(h) ⁻		er of the disciplinary authority binting the Presenting Officer	
(i)	Inqu	Order Sheet maintained by the iry Officer, indicating the progress al inquiry	
(j)	Offic	respondence of the Inquiry er, if any, with the Disciplinary pority or the Charged Officer	
(k)	(i)	Depositions-oral statements, recorded from prosecution wit- nesses and defence witnesses	
	(ii)	Statement of defence of the Charged Officer	
	(iii)	General examination of the Charged Officer	
	(iv)	Whether copies of relevant documents have been supplied to the Charged Officer	
-	(v)	Exhibits	
		(a) Prosecution(b) Defence	;{*6 **

•

(i)	(i)	Written brief, if any, submitted by the Presenting Officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- .	(ii)	Presenting Officer supplied to	
	•	the Charged Officer	
(m)		itten brief, if any, submitted by the arged Officer	
(n)	Inq	uiry Officer's report	
(0)	(i)	Whether Inquiry Officer's report provided to the Charged Officer.	
5015	(ii) *****	Whether disagreement of the Disciplinary Authority, if any, on the report of the Inquiry Officer communicated to the Charged Officer	
* * -	(Ħ)	Representation of the Charged Officer on the findings of the Inquiry Officer	
	(iv)	Parawise comments of the Dis- ciplinary Authority on the repre- sentation of the Charged Officer, if any.	
(cons	ther the Disciplinary Authority has sidered the merits of the case and e to the conclusion that a formal	

(B) APPEAL CASES

penalty is called for

(Where the order of penalty has been passed by a subordinate authority and an appeal lies to the President)

[556]

(In these cases all the documents listed in (A) should also be sent)

(a) Order passed by the Disciplinary Authority together with a note, if any, containing the conclusion arrived at by him in respect of each charge

(b)	Appeal	of	the	officer	concernea	

- (c) Whether appeal has been addressed to the competent authority
- (d) Comments of the disciplinary authority on the appeal including clarification on procedural points, if any, raised by the appellant.

(C) REVISION/REVIEW CASES

(i) Whether appeal addressed to the President of India or to some subordinate authorities.

(Where the appellate authority is subordinate to the President and a modification of the appellate order is sought by way of revision/review or where the President has passed the original order)

(In these cases all the documents listed in (A) and (B) should also be sent)

- (ii) Whether the approval of the Competnet Authority obtained before referring the Case for Commission's advice.
- (a) Appellate Authority's order/ President's order
- (b) Petition/Memorial submitted by the officer

(c) Note indicating the Reviewing Authority's findings on the charges, datailing the reasons warranting modification of the penalty already imposed and the extent of such modification.

NVCRLO.≛ Arth©itic

[559]

(C		=		1	ï			
	procedural or factual points, if any, raised in petition.	.•				÷		• .
				1.4-				
_(C) PENSION CASES		•.					· -
I	Where the President proposes to withhold on e officer as a result of disciplinary proceedir an officer who has retired from service)	r w ithdra ngs institi	aw p uted	ension /deeme	other ed to d	wise conti	admi nue in	ssible to respect
(Ir	these cases all the documents listed in (A) should	alsc	be ser	nt)		11-	•
(a)	Order of the President*, if any, that				- · ·	<u> </u>	1.0	
	the disciplinary proceedings should be instituted/continued under the				-			
	relevant pension rules.		,		V.	۰.		·· :
(b)	Show cause notice issued to the officer indicating precisely the quantum of cut proposed to be made			· .		:		
- 1	in his pension and the period for which it shall be operative			÷ ·	a.		×	
(c)	notice).	<u></u>			
		et 👌		- -	- Aţ			
(d)	Comments on factual or procedural points raised by the officer in his reply.					<u> </u>		
(E)	GENERAL	-						
a)	Miscellaneous documents regarding		<u>-</u>					
	evidence such as the exhibits	E.			E.			
	statements, etc, referred to in (A) to (D)	.*			7	•		
	and extracts of relevant Rules, Codes,	41 - Let	• ~	1. J. J.	• •		1	
	Manuals, Acts, Judgemetns etc.							

[560]

٠

-- -

- (b) Information/position of disciplinary proceedings instituted against other co-accused officers.
- (c) Whether complete and uptodate Confidential Roll of the officer has been enclosed. * Signatur

* To be signed by an officer not below the rank of CVO/Jt. Secretary to the Government of India.



संघ-लोक-सेवा-आयोग को अनुशासनिक मामले भेजे जाने के लिए निर्धारित प्रपत्र∕जांच-सूची

भाग	1	•	मेवा	तथा	जगमे	संबंधित	स्त्रीय
-		÷	सम	तया	ગ્લલ	સવાઘત	વ્યારા

.

		<u> </u>	
١.	उस अधिकारी का नाम जिस पर आरोप लगाए		
	गए हैं तथा उस सेवा का नाम जिससे वह		
	संबंधित है		
2.	(i) क्या सेवा अस्थायी/स्थायी/अनुबॉधत है	••••	
	(ii) यदि स्थायी हो तो स्थायीकरण की तारीख		
	(iii) पद, यदि कोई हो, जिस पर स्थायीवत् हैं		
*3.	यदि स्थायी सेवा में हों तो धारित मूल पद	· · · · · ·	
11-1	(क) पदनाम		
	(ख) वेतनमान (चरण, दक्षतारोध आदि दर्शाते हुए)		
	(ग) लिया जा रहा वेतन		
	(घ) वह तारीख जिससे (ग) के सामने दर्शाया		
	गया वेतन लिया जा रहा है		
	(ङ) वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख		
•	इस समय धारित पद		
	(क) पदनाम		
	(ख) वेतनमान (चरण, दक्षतारोध आदि दर्शाते हुए)		
	(ग) लिया जा रहा वेतन		
	(घ) वह तारीख जिससे (ग) के सामने दर्शाया		
	गया वेतन लिया जा रहा है		
			-

- (ङ) वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख
- * अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामले में नहीं भरा जाना है ।

.

[562]

5. अधिकारी जिस पद पर इस समय कार्य कर रहा है यदि वह उस पर नियुक्त नहीं हुआ होता, तो उससे निम्नतर पद/ग्रेड (वेतनमान सहित) जो अधिकारी ने धारण किया हुआ होता

6. जन्म-तारीख

7. सरकारी सेवा में आने की तारीख

- सेवानिवृत्ति की नियत तारीख अथवा पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्ति के मामले में उसकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तारीख
- 9. (क) देय/स्वीकृत मासिक पेंशन की धनराशि

(ख) (i) देय उपदान की धनराशि

(ii) स्वीकृत उपदान की धनराशि

(यह जानकारी केवल उन मामलों के संबंध में आवश्यक है जिनमें पेंशन की वसूली की जानी हो अथवा पेंशन प्रसुविधाओं का भुगतान रोका जाना हो)

- 10. (क) इस समय धारित पद से संबंधित नियुक्ति-प्राधिकारी अथवा वह प्राधिकारी जिसने व्यक्ति को वास्तविक रूप से नियुक्त किया हो यदि वह प्राधिकारी उच्चतर हो
 - (ख) इस समय धारित पद के संबंध में शास्ति लगाने में सक्षम प्राधिकारी
 - (ग) इस समय धारित पद के संबंध में अपीलीय
 प्राधिकारी
- 11. यदि निर्धारित नियमों के अधीन कोई मौखिक जाँच की जानी अपेक्षित हो तो क्या वह कर ली गई है ?
- यदि कोई जाँच-अधिकारी नियुक्त किए गए हों तो उनके नाम तथा पदनाम

[563]

(जैसा कि नीचे सूची में दर्शाया जा रहा है, सभी रेकर्ड व्यवस्थित और प्रतिनिर्देशित किए जाने अपेक्षित हैं और प्रत्येक मद के सामने फाइल/फोल्डर की पृष्ठ संख्या दर्शाई जानी अपेक्षित है)

मद्∵

*संदर्भ⁄टिप्पणियाँ

14 A A

(क) मौलिक मामले (जहाँ राष्ट्रपति अनुशासनिक प्राधिकारी हो और शास्ति-आदेश पहली बार पारित किया जाना हो)

(क) प्राधिकारियों को प्राप्त हुई कोई शिकायत आरोपित अधिकारी के विरुद्ध की गई किसी (ख)(i) प्रारंभिक जाँच की रिपोर्ट और रिकार्ड किए गए बयान जिनके निष्कर्ष के आधार पर उसके विरुद्ध औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई हो निलंबन/निलंबन को रद्द करने का आदेश, (ii) यदि कोई हो जिस माामले में दो या दो से अधिक सरकारी (ग) कर्मचारी संलिप्त हों उसमें संयुक्त/सामान्य कार्यवाही करने में सक्षम प्राधिकारी का आदेश, यदि कोई हो आरोपों से संबंधित विवरण और अनुलग्नकों (घ) (i) सहित आरोप-पत्र आरोपित अधिकारी को आरोप-पत्र दिए (ii) जाने से संबंधित रेकर्ड

(iii) क्या आरोप-पत्र नियमों के अनुसार जारी किया गया है ?

*पृष्ठ संख्या, फाइल संख्या, फोल्डरों आदि के अनुसार हवाला दर्शाएँ । कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ें, यदि कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो तो उसका कारण दर्शाएँ ।

- (च) लघु शास्ति से संबंधित जिन मामलों में कोई जांच नहीं हुई हो उनमें आरोपित अधिकारी के उत्तर में उठाए गए कोई तथ्यात्मक अथवा प्रक्रियात्मक मुद्दे स्पष्ट करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणी
- (छ) जांच अधिकारी नियुक्त किए जाने के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश
- (ज) प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी नियुक्त किए जाने के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश
- (झ) मौखिक जांच की प्रगति दर्शाते हुए, जांच अधिकारी द्वारा रखा जा रहा दैनिक आदेश-पत्रक
- (ञ) जांच-अधिकारी द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा
 आरोपित-अधिकारी से किया गया कोई पत्राचार
- (ट) (i) बयान-अभियोजन-पक्ष के गवाहों और बचाव-पक्ष के गवाहों के रिकार्ड किए गए मौखिक बयान
 - (ii) आरोपित अधिकारी द्वारा दिया गया अपने बचाव का बयान
 - (iii) आरोपित अधिकारी की सामान्य जाँच-पड़ताल
 - (iv) क्या आरोपित अधिकारी को संगत दस्तावेजों की प्रतियाँ दे दी गई हैं ?
 - (v) दिखाए गए दस्तावेज
 - (क) अभियोजन-पक्ष के
 - (ख) बचाव-पक्ष के

• :

4

- (ठ) (i) प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी द्वारा लिखित रूप में पेश की गई कोई संक्षिप्त जानकारी
 - (ii) क्या प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी द्वारा पेश की गई संक्षिप्त जानकारी की प्रति आरोपित अधिकारी को दी गई है ?
- (ड) आरोपित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में
 पेश की गई कोई संक्षिप्त जानकारी
- (ढ) जाँच अधिकारी की रिपोर्ट
- (ण)(i) क्या जॉॅंच-अधिकारी की रिपोर्ट आरोपित अधिकारी को उपलब्ध करवायी गई ?
 - (ii) यदि जाँच-अधिकारी की रिपोर्ट के प्रति अनुशासनिक प्राधिकारी की कुछ असहमति रही हो तो क्या वह आरोपित अधिकारी को संसूचित की गई ?
 - (iii) जाँच-अधिकारी के निष्कर्षों के बारे में आरोपित अधिकारी का अभिवेदन
 - (iv) आरोपित अधिकारी के अभिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई कोई पैरा-वार टिप्पणियाँ
- (त) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले के गुणावगुणों पर विचार किया है और क्या वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि औपचारिक शास्ति लगाई जानी आवश्यक है ?

(ख) अपील के मामले

(क्या शास्ति का आदेश किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है और उसके बारे में अपील राष्ट्रपति से की जानी है ?)

(इन मामलों में (क) में दर्शाए गए सभी दस्तावेज भी भेजे जाने चाहिए) ।

(क) प्रत्येक आरोप के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी का निष्कर्ष दर्शाते हुए उनके द्वारा की गई किसी टिप्पणी सहित, उनके द्वारा पारित आदेश

÷

- (ख) संबंधित अधिकारी की अपील
- (ग) क्या अपील सक्षम प्राधिकारी को संबोधित की गई है ?
- (घ) अपीलकर्त्ता द्वारा उठाए गए किन्हीं प्रक्रियात्मक मुद्दे पर स्पष्टीकरण सहित, अनुशासनिक अधिकारी की टिप्पणियां

(ग) पुनरीक्षा⁄पुनर्विलोकन से संबंधित मामले

(i) क्या अपील भारत के राष्ट्रपति अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को संबोधित की गई है ?

(जहां अपीलीय प्राधिकारी राष्ट्रपति के अधीनस्थ हो तथा पुनरीक्षा/पुनर्विलोकन के माध्यम से अपीलीय आदेश संशोधित करना चाहा गया हो या जहां राष्ट्रपति ने मूल आदेश पारित कर दिया हो)

5

(इन मामलों में (क) तथा (ख) में दर्शाए गए सभी दस्तावेज भी भेजे जाने चाहिए)

(ii) क्या मामले को आयोग के पास सलाह हेतु
 भेजे जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी का
 अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया ?

(क) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश/राष्ट्रपति के आदेश

(ख) अधिकारी द्वारा भेजी गई याचिका/अभिवेदन

(ग) आरोपों के बारे में पुनरीक्षण अधिकारी के निष्कर्ष और पहले ही लगा दी गई शास्ति में रद्दोबदल किए जाने के कारण तथा ऐसी रद्दोबदल की हद दर्शाने वाली टिप्पणी

[567]

(घ) याचिका में उठाए गए किन्हीं प्रक्रियात्मक अथवा
 तथ्यात्मक मुद्दों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

(घ) पेंशन के मामले

(जहां राष्ट्रपति ने सेवानिवृत्त हो गए अधिकारी के बिरुद्ध अनुशासनिक का**र्थवाही आरंभ किए जाने/जारी रहनी** मानी जाने के परिणामस्वरूप उसे पेंशन का भुगतान रोक दिया जाना या वापस ले लिया जाना प्रस्तावित किया हो, जो अन्यथा उसे देय/स्वीकार्य रहा होता)

·+ 'z

ł

(इन मामलों में (क) में दर्शाए गए सभी दस्तावेज भी भेजे जाने चाहिए)

(क) *राष्ट्रपति के इस आशय के आदेश, यदि कोई हो, कि संगत पॅशन नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की जानी/जारी रखी जानी चाहिए।
(ख) स्पष्ट रूप से यह दशति हुए अधिकारी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस कि उसकी पेंशन में से कितनी कटौती की जानी और कितनी अवधि तक की जानी प्रस्तावित है।
(ग) उपर्युक्त नोटिस के संदर्भ में अधिकारी का उत्तर
(घ) अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में उठाए गए तथ्यात्मक अथवा प्रक्रियात्मक मुद्दों पर टिप्पणियां
(ङ) सामान्य
(क) (के) से (घ) में उल्लिखित, दिखाए गए दस्तावेज, वयान आदि जैसे साक्ष्य के बारे में विविध दस्तावेज तथा संगत नियमों, कोडों, मैनुअलों, अधिनियमों,

*अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामले में केन्द्रीय सरकार

निर्णयों आदि के उद्धरण ।

[568]

(ख) अन्य सह-आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही की जनकारी/स्थिति

(ग) क्या अधिकारी की पूरी तथा अद्यतन गोपनीय पंजी संलग्न कर दी गई है ?

ן ן

• हस्ताक्षर
इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का स्पष्ट अक्षरों में
नाम
पदनाम
दूरभाष सं०
तारीख

* मुख्य सतर्कता अधिकारी/भारत-सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाना है ।

[569]

E736 CONTRACTOR STRAND

सं॰ 107/8/99-ए. वी. डी.-1.

State and the second second

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग

ी किंग्रे किंग्रे कि अक्तूबर 27, 1999 सेवा में; कि कि

सभी राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

(सूची के अनुसार)

विषय :- भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1947/1988 के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 、 अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी के बारे में प्रस्ताव ।

महोदय, के कि सिर्फ के कि राजिय के मिल्ल के कि कि राजिय के कि सुध के कि सुध के कि सुध के कि सुध के सिर्फ के सिर्फ कि जिस के राजिय के लिख के सिर्फ के मिल्ल के कि सुध के सिर्फ के कि सुध के सिर्फ के कि सुध के सिर्फ के सिर्फ के सि

जैसा कि आप जानते हैं, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 की धारा 19 (भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1947 की तदनुरूपी धारा 6) के अंतर्गत, मुकदमा चलाने वाले अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा अन्वेषण-रिपोर्ट में उल्लिखित, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अभिकधित अपराधों के संबंध में, किसी लोक-सेवक के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने से पहले, उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी की मंजूरी ली जानी आवश्यक होती है । भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के संबंध में ऐसी मंजूरी, भारत-सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा दी जानी अपेक्षित होती है क्योंकि भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 की धारा 19 (1) के अनुसार, केवल केन्द्रीय सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग) ही ऐसे अधिकारियों को सेवा से निकाल देने में सक्षम है ।

2. यदि अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करते समय या इस निर्वहन के आशय से कार्य करते समय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के विरुद्ध, भारतीय दंड-सॉहता के अंतर्गत आने वाले कोई अभिकथित अपराध किए होने का आरोप हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 197 (1) के तहत भी केन्द्रीय अथवा राज्य-सरकार में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ली जानी आवश्यक होती है। यदि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाला, अभिकथित अपराध करते समय ऐसा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के काम-काज के सिलसिले में सेवारत हो अथवा सेवारत रहा हो तो दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 19 (1) के तहत ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जानी अपेक्षित होती है। यदि अखिल भारतीय सेवा का ऐसा कोई सदस्य राज्य-सरकार के काम-काज के सिलसिले में

570]

सेवा-रत हो अथवा सेव्य∺रत रहा हो **तो भारतीय दंड-संहिता के अंत**र्गत आनेवाले अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के तहत ऐसी मंजूरी संबंधित राज्य-सरकार द्वारा दी जानी अपेक्षित होती है ।

3. जब भ्रब्टाचार-निवारण-अधिनियम के तहत संबंधित राज्य-सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसी मंजूरी ली जानी अपेक्षित हो तथा संबंधित अधिकारी राज्य-सरकार के काम-काज के सिलसिले में सेवारत हो तो राज्य-सरकार में सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा होती है कि वह रेकर्ड में रखे गए साक्ष्य के आधार पर मामले की जाँच-पड़ताल करे और ऐसे मामले पर अपनी राय/सिफारिश सहित संबंधित दस्तावेज, और दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 197 (1) के तहत उसने (संबंधित राज्य-सरकार ने) यदि कोई मंजूरी दी हो तो उसे भी संलग्न करते हुए केन्द्रीय सरकार को भेज दे।

4. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना भी संगत होगा कि भारतीय प्रशसानिक सेवा के किसी सेवा-निवृत्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियमः 1947 की धारा 6 और भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 को तदनुरूपी धारा 19 (1) के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा आवयक मंजूरी दी जानी अपेक्षित नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आर. एस. नायक (अपीलकर्त्ता) बनाम ए. आर. अन्तुले (प्रतिवादी) (आई. आर. 1984 एस. पी. 684) मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार ऐसा अधिकारी लोक-सेवक नहीं रह जाता । अत: भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा-निवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध उक्त मंजूरी लिए जाने के प्रस्ताय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है ।

5. इस बारे में विभिन्न राज्य-सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों में यह पाया गया है कि भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के कुछ प्रस्तावों के साथ केन्द्रीय सरकार को संगत मूल दस्तावेज और अन्य सहायक सामग्री/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण वे अपूर्ण होते हैं । अतः इस विभाग द्वारा तैयार किए गए मदों की सूची से संबंधित जाँच (प्रतिलिपि संलग्न) पूर्ण कर लिए जाने की पड़ताल कर ली जानी चाहिए और निर्णय हेरे मामले भारत सरकार को भेजते समय, सभी मामलों में उपर्युक्त मदों की सूची से संबंधित जाँच पूरी कर लेने की पड़ताल के आशय से यह संलग्न की जानी चाहिए ।

6. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना भी संगत है कि विनीत नारायक के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु तीन माह (90 दिन) की समय-सीमा निर्धारित की है । अत: ऐसे मामलों में राज्य-सरकार से संगत दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत विलम्ब हो जाता है, जिसे राज्य-सरकार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के बारे में भारत-सरकार को प्रस्ताव भेजते समय पर्याप्त सावधानी बरत कर टाल सकती है ।

7. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि कृपया इस बारे में संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

> भवदीय, ह०/- डी. पी. खत्री भारत सरकार के अवर सचिव दूरभाष : 3011224

् [: **5**71]

- मूल अन्वेषण-रिपोर्ट । यदि अन्वेषण-रिपोर्ट हिन्दी अथवा किसी अन्य भाषा में हो तो उसका सार अंग्रेजी में भेजा जाना अपेक्षित होगा ।
- 2. अन्वेषण-रिपोर्ट में उल्लिखित, मामले से संबंधित ऐसे मूल रेकर्ड अथवा उनकी अनुप्रमाणित प्रतियाँ जो भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के अंतर्गत आने वाले, अभिकथित अपराध के संदर्भ में अधिकारी की सदोषता निश्चित किए जाने के प्रयोजन से संगत हों।
- मंजूरी-आदेश का मसौदा (अंग्रेजी में) ।
- आरोपित अधिकारी का बयान और उसकी दलीलों का खंडन करने से संबॉधत, अन्वेषण-अधिकारी की टिप्पणियाँ।
- 5. राज्य-विधि-विभाग की राय ।

- क्या केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेने का प्रस्ताव, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को राज्य सरकार में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भेजा गया है ।
- 7. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अभिकथित अपराधों, यदि अधिकारी द्वारा ऐसे अपराथ किए गए हों, के संबंध में दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 197 (1) के तहत राज्य-सरकार में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जारी कर दी गई है, यदि हाँ तो संदर्भाधीन प्रस्ताव के साथ उसकी एक प्रतिलिपि भी संलग्न की जानी है। यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी सेवा-निवृत्त हो गया हो तो भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के तहत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी अपेक्षित नहीं है।

...

ł

[8]

Government of India

Ministry of Personnel, P.G. & Pensions

Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi

F No. 14015/18/99-AIS (i)

Dated, the 27th October, 1999

То

The Chief Secretary,

Government of Bihar,

Deptt. of Personnel & A.R,

PATNA.

(Attn.: Shri Anjani kumar, Addl. Secretary)

Subject :- Issuance of "Integrity Certificate" to State Civil Service Officers for promotion to I.A.S.

Sir.

I am directed to refer to State Government letter No, I/C-1020/99 ka-6276/dated the 26" July. 1999 on the above subject and to say as follows.

2. It is observed that clarification has been solicited by the State Government on the following issues namely:-

- (a) Whether the Integrity Certificate to be furnished on the eve of consideration for promotion to the IAS in respect of the State Civil Service Officers, any foreseeable actions under the PC Act, 1988 through the competent court is to be taken into account or not;
- (b) Whether the integrity certificate is to be based upon the entries in the relevant columns in the ACRs or upon the general perception derived from the ACRs. In other words, adverse enteries in the ACRs on account of misbehaviour, negligence of duties, violation of Government orders etc. will have a bearing on the issue of integrity or not, if the officer's integrity is reported to be "beyond doubt" in the intergrity column;

[573]

(c) In case of persons already provisionally included in the Select List, under what conditions their integrity should be certified or withheld ?

3. The issue relating to grant of integrity certificate and inclusion of State Civil Service officers on a provisional basis in the Select List for promotion to IAS is governed by the statutory provisions contained in the proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by promotion) Regulations, 1955 and the Explanation thereunder, framed *interalia* taking into account the judgement of the Hon'ble Supreme Court in its judgement in *K.V. Janki Raman's* case. The issues raised in the reference as above as such stand clarified as under adseriatim.

- (a) It will not be in order to withhold integrity certificate on account of any foreseeable action under the Prevention of Corruption Act by the competent court. The fact as to whether or not charges under the PC Act have been framed against the officer concerned by the court in terms of the provisions in the PC Act should alone form the basic criterion in order to arrive at a conclusion on the grant or denial of the integrity certificate to the officers concerned;
- (b) Adverse remarks in the ACRs on account of misbehaviour etc. should not be the basis for denial of integrity certificate in favour of the State Civil Service officers, the Selection Committee will duly consider the adverse remarks as one of the aspects while doing the overall relative assessment of the service records of the officer concerned. The grant of integrity certificate should be related to the enteries in the ACRs in the integrity column and its logical conclusion as also the situations dealt with in the Explanation below proviso to Regulation 5 (5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, as amended from time to time.
- (c) In case of a person already provisionally included in the Select List his integrity certificate should be issued or withheld depending on whether the conditions leading to the inclusion of his name as provisional in the Select List continue to exist or not.
- 3. Receipt of this clarification may kindly be acknowledged.

1

j

and the second second second

· · · ·

1 1

Yours faithfully.

R. VAIDYNATHAN

5.5

Under Secretary to the Governemnt of India

 $\chi = m$

en e an anti-se anti-se anti-se **3°E 9 1**°C de la seconda de la seconda de la seconda de la seconda de la second Altra de la seconda de la s

Beers and the Bit and the Second Seco

Srd Floor, Lok Nayak Bhawan

and the second second

Khan Market, New Delhi -110003

Dt. 22nd July, 1999

OFFICE MEMORANDUM

to give size 001, that is not like

10 4

Sub : Revision of Family Pension of Pre-1996 deceased Government servants/ pensioners- instructions regarding prompt revision.

This Department has been receiving representations from Pensioners/Family Pensioners and various Pensioner's Associations regarding non-revision of Family Pension by the concerned Ministries/ Departments/Officers due to non-availability of records especially in the case of pre-1986 retirees/death cases. Pensioners Associations have also pointed out that a large number of Family Pensioners may not have applied for revisoin as they may not be aware of the Government orders on the subject.

2. The Government in its O.M. dated 17.12.98 have laid down that w.e.f. 1.1.96 Family Pension shall not be less than 30% of the minimum of the pay in the revised scale introduced w.e.f. 1.1.96 of the post last held by the Pensioners/deceased Government servants. In view of this all the Ministries/Departments /Offices who are Pension Sanctioning Authorities may revise the Family Pension of all the Family Pensioners sub moto who have been sanctioned Family Pension by their office etc. immediately without waiting for tracing of the records and verification of details etc. However, subsequently, if the records are available the pension may be calculated on the basis of Office Memorandums dated 10.2.98 and 8.5.98 and if this amount is more than 30% of minimum of the revised scale, the Family Pension may be revised upwardly, otherwise pension already, sanctioned 30% of the minimum of the revised scale should be allowed to continue.

[575]

3. So far as Armed Forces family pensioners are concerned, separate instructions may be issued in this regards by the Ministry of Defence.

4. Ministry of Agriculture etc, are requested to bring the contents of this O.M. in the notice of Head of Departments/Controller of Accounts, Pay and Accounts Officers and Attached Subordinate Officers under them on top priority basis. All Pension Disbursing Authorities are also advised to prominently display these orders on their notice boards for the benefit of the pensioners/family pensioners.

(Rattan Lal) Deputy Secretary (Pension)

To,

۰.

All Ministries/Departments of the Government of India Copies to :

1. Office of the Comptroller & Auditor General with 200 spare copies.

Copy also forwarded to : (as per list attached).

Website No. is http://www.nic.in/persmin.

No. 45/51/97-P & PW (E)

Government of India

Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan

Khan Market, New Delhi -110003

Dt. 21st July, 1999

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Recommendations of 5th Central Pay Commission–Grant of Family Pension to Parents, Sons and Daughters–Verifications regarding.

Orders were issued in this Departments Office Memorandum of even number dated 5th March, 1998 prescribing the income criterion and certain other eligibility conditions for the grant of Family Pension to the dependent parents and widowed or divorced daughters of deceased Central Government employees in pursuance of the recommendations of the 5th Central Pay Commission. This Department has been receiving a number of references seeking clarifications on issues of relevance for implementation of these orders. After consideration of these references, the following clarifications are furnished for the guidance of all concerned :

(i) In terms of the O.M. dated 5th March, 1998, parents who were wholly dependent on the deceased Government Servant when he/she was alive, will also be entitled to Family Pension with effect from 1st January, 1998 subject to the fulfilment of the other conditions prescribed in this regard. Doubts have been raised whether parents of Government Servants who died prior to 1st January, 1998 will also be entitled to Family Pension. It is clarified that Family Pension will be admissible in these cases subject to the following :

[577]

- (a) the parents were wholly dependent on the Government Servant when he/she was alive;
- (b) the Government Servant has not left behind a widow/widower, eligible son or daughter or a widowed/divorced daughter, who will have a prior claim to Family Pension in the order indicated;
- (c) all other prescribed conditions are fulfilled.

The Family Pension will, however, be payable only with effect from 1st January, 1998. It will be responsibility of the pension sanctioning authorities concerned to satisfy themselves, based on a scrutiny of the service records and other relevant documents, that the parents were, in fact, wholly dependent on the deceased Government Servant when he/she was alive and that he/she has not left behind any of the other specified beneficiaries who have a prior claim to the family pension.

(d) The family pension wherever admissible to parents, the mother will receive the pension first and after her death the father will receive the family pension.

(ii) The production of income Certificate as stipulated in this Department's Office Memorandum of 5th March, 1998, is also required to be insisted upon before authorizing the Family Pension to the eligible sons and daughters (including widowed/dlvorced daughters) and dependent parents. In case they are self-employee or are in receipt of income from sources other than employment, income Certificates furnished by the concerned beneficiaries themselves may be accepted for the purpose.

(iii) Eligible sons of deceased Government employees will also be required to furnish six-monthly certificates in regard to their marital status as is required of eligible daughters.

(iv) Payment of Family Pension is to be discontinued in the event of the eligible sons/daughters (including widowed/divorced daughters) getting married/remarried or on their earning monthly income exceeding Rs. 2,550/- or on attaining 25 years of age whichever is earlier. The crucial date for determining their continued eligibility to Family Pension shall be 1st January, 1998 and not 5th March, 1998 (the date of issue of this Department's earlier Office Memorandum) as has been presumed by some of the ministries and departments. 2. These clarifications issue with the concurrence of the Department of Expenditure, vide their U.O. No. 1064/EV/98 dated 29.6.1999.

3. Ministry of Agriculture, etc, are requested to bring the contents of this Office Memorandum to the notice of their Controllers of Accounts, Pay & Accounts Officers and Attached and Subordinate Offices for their guidance and necessary action.

(Rattan Lal)

Deputy Secretary to the Government of India.

То

All Ministries/Departments of the Government of India.

Copy forwarded for information and necessary action to recipients as per Standard Distribution List.

Website No. is http://www.nic. in/persmin.

618 M

en an an Station an Anna an Ann

. .

[579]

[11]

F.N. 11019/4/99-AIS-III

Ministry of Personnel, P.G. and Pensions

(Department of Personnel & Training)

North Block, New Delhi, date the 15th July, 1999

лē

То

The Chief Secretaries of all the State Governments/UTs.

Sub : AIS (Leave) Rules, 1995-Procedure for crediting earned leave.

Sir.

I am directed to say that the question whether procedure for crediting earned leave, as contained in this Department's letters No. 11019/5/90-AIS-III dated 8th August, 1990 and 24th September, 1990, required any modification in view of the maximum limit of the earned leave having been increased from 240 to 300 days by the Fifth Pay Commission was examined by the Central Government and it has now been decided that the procedure for crediting earned leave, as contained in the aforesaid letter will continue to the be the same except that the figures 225 days and 240 days, wherever occuring in the said letter, will be replaced by the figures 285 days and 300 days respectively.

The benefit of earned leave to the maximum limit of 300 days was extended to the members of the All India Services, vide Notification No. 11019/6/97-AIS-III dated 3rd March, 1998, which was mere effective from 1st of July, 1997. These instructions will also come into effect from 01-07-1997. The State Governments etc. may kindly regulate the crediting of earned leave accordingly.

Yours faithfully (Bharat Prasad) Under Secretary to the Govt. of India

[580]

No. 3 (V)/99/2

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

Satarkta Bhawan, Block 'A'

GPO Complex, INA,

New Delhi-110023

Dated the 29th June, 1999

Sub: Improving vigilance administration--no action to be taken on anonymous/ pseudonymous petitions/complaints.

÷.

By virtue of the powers invested in the CVC under para 3(v) of the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, Resolutation No. 371/20/99-AVD III dated 4th April 1999, the CVC is empowered to exercise superintendance over the vigilance administration of the various Ministries of the Central Government or corporations established under any Central Act, Government Companies, Societies and local authorities owned or controlled by that Government.

2. One of the facts of life in today's administration is the widespread use of anonymous and pseudonymous petitions by disgruntled elements to backmail honest officers. Under the existing orders, issued by Department of Personnel & Training letter No. 371/4/ 91 AVD III dt. 29.9.92, no action should be taken on anonymous and pseudonymous complaints and should be ignored and only filed. However, there is a provision available in this order that in case such complaints contain verifiable details, they may be enquired into in accordance with existing instructions. It is, however, seen that the exception provided in this order has become a convenient loophole for backmailing. The public servants who receive the anonymous/pseudonymous complaints, generally, follow the path of least resistance and order inquiries on these complaints. A peculiar feature of these complaints is that these are resorted to especially when a public servant's promotion is due or when an executive is likely to be called by the Public Enterprises Selection Board for interview for a post of Director /CMD etc. If nothing else, the anonymous/pseudonymous petition achieves the objective of delaying the promotion if not denying the promotion. These complaints demoralise many honest public servants.

[581]

3. A person will resort to anonymous or pseudonymous complaints because of the following reasons :

i. He is an honest person who is a whistle blower but he is afraid to reveal his identity because of fear of consequences of the powerful elements in the organisation.

ii. He is a blackmailer who wants to psychologically pressurise the public servants complained against.

4. There could be a view that if the anonymous/pseudonymous complaints contain an element of truth and if no action is to be taken on them then important source of information will be lost. To that extent, corrupt practices may get a boost. At the same time the Central Vigilance Commission has initiated a number of steps to provide a channel of communication against the corrupt public servants. These measures include the following.

i. Under CVC's order No. 8(1) (h) (i) dated 18.11.98, even junior officers can complain to the CVC in cases of corruption against the seniors;

ii. The CVC has issued instructions that the name of the complainant will not be revealed when the complaint is sent to the appropriate authorities for getting their comments or launching inquiries;

iii. Under CVC Order No. 8(1)g/99 (4) dated 12th March, 1999, in every office there should be public notice displayed directing that no bribe should be paid. If any bribe is demanded, the complaint should be made to appropriate authority like GVO, CVO etc; and

iv. The CVC is now available on web-http://cvc.nic.in. If any body wants to complain they can easily lodge complaints on the website of CVC and also through e-mailvigilance@hub.nic.in.

5. In view of the above measures taken, there is very little possibility that genuine cases of corruption will not be brought to the notice of the appropriate authorities by those who were earlier resorting to anonymous/pseudonymous complaint route.

6. It is, therefore, ordered under powers vested in the CVC under para 3(v) of the DOPT Resolution No. 371/20/99-AVD.III dated 4th April, 1999 that with immediate effect

[582]

no action should at all be taken on any anonymous or pseudonymous complaints. They must just be filed.

7. This order is also available on website of the CVC at http://cvc. nic. in.

All CVOs must ensure that these instructions are strictly complied with.

Central Vigilance Commissioner

To.		
	(i)	The Secretaries of All Ministries/Departments of Government of India
e de E	(ii)	The Chief Secretaries to all Union Territories
· [†] .	(iii)	The Comptroller & Auditor General of India.
	(iv)	The Chairman, Union Public Service Commission
1. ⁶ .	(v)	All Chief Vigilance Officer in the Ministries/Departments/PSEs/Public Sector Banks/Insurance Companies/Autonomous Organisations/Societies
	(vi)	President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/PMO.
	· .	$P_{\rm CM} = -1000$ and $p_{\rm cm} = 1000$
		(a) A state of two in the W (b) and W (c) and
	. •	

i 1

-

•

a from

ł

٤

[[583]

....

No. 33/4/98-P&PW(C)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Pension & Pensioners Welfare

Third Floor, Lok Nayak Bhawan

New Delhi 110003

Dated 21 June, 1999

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Revision of Family Pension equal to last pay drawn by the deceased Government servant granted under Lilberalised Pensionary Awards-Clarification for.

The undersigned is directed to say that family pension, payable under the Liberalised Pensionary Awards Scheme will be consolidated w.e.f. 01.01.1996 under the provisions of Office Memorandum No. 45/86/97-P&PW (A)-Part-II dated 27.10.1997 subject to the fulfilment of the conditions laid down in this Office Memorandum.

(Sujit Datta) Director ŧ

To,

All Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to :-